

No. 53/I/2015-04/10/2014
Dehradun : Dated : 31st January, 2015

1. Power is a critical infrastructure on which the socio-economic development of the State /country depends. The growth of the economy and its global competitiveness hinges on the availability of quality power at competitive rates. Therefore, it is imperative that electricity is made available at globally competitive cost. The requirement of power in Uttarakhand has been growing at a faster rate due to the industrialization of the State. Ironically the power availability in the state has not grown proportionately to match the power demand. As a result there exists a huge gap between the power availability and demand in the State. In today's power scenario, the position becomes gloomier during the morning and evening peak hours when rostering and power cuts are required to be imposed throughout the state for the safety of the grid operations.

Upto 31st December 2013, the total hydro power generation in State Sector through medium & Major projects was 2006.01 MW while as from renewable sources was 189.87 MW. The installed capacity in Uttarakhand State is 1.11 % of the National Installed capacity. During 2013-14, the total demand in the State was 11944 MU against its share of 11493 MU i.e. a shortage of 3.8%. The peak deficit in the State is 4.2% while as the energy supply deficit is 1.5-3.8 %.

Uttarakhand State is richly endowed with natural renewable resources for generating electricity. Most of this could be harnessed through environmentally clean small, Medium & Large Hydroelectric Projects; it is estimated that a capacity of more than 20,000 MW is yet to be tapped through these sources. It is felt that more than 10,000 MW electrical energy could be tapped through these sources before 2020.

Most of the streams / Rivers in the State are small streams; small hydro power projects in these streams can be developed with minimum risks, the probable small hydro power potential is around 3000 MW. Accordingly, the Government of Uttarakhand (GoU) has laid maximum emphasis on harnessing of its small hydro power potential, being a clean & renewable source of energy. These projects are run of the river projects and hence the rehabilitation and resettlement issues are almost negligible, also project components are smaller in size, the

environmental and ecological impacts of these projects are minimal. These small hydro projects can be developed within a stipulated time framework with minimum surprises, while as the medium and major projects gestation period is comparatively larger. It has been therefore decided to encourage private sector participation in development of Hydro Power Projects (SHPs). Accordingly GoU declared “Policy For Harnessing Renewable Energy Sources in Uttarakhand With Private Sector / Community Participation” issued vide G.O. No. 263(2)/2008-04(8)-06/2001, dated 29.1.2008. This Policy is applicable for development of all renewable energy projects through private / community participation for projects upto 25 MW installed capacity that are considered as renewable energy sources.

During the implementation of above, numbers of suggestions were received for amending some of the provisions of the Policy for accelerated and smooth development of power generation under various categories of projects. Accordingly, Independent Policies are being framed for harnessing of micro (upto 100 kW) & mini (above 100 kW and upto 2.0MW) hydro power projects and for development of other renewable energy sources e.g. Solar Power, wind energy, biomass / agro residue energy, cogeneration energy, energy from municipal waste, geo-thermal energy etc.

On this background and with an intention to harness the small hydro power available in the state in an accelerated manner, GoU is pleased to declare revised policy for development of small hydro power projects, through the Private / Public sector participation. This policy seeks to replace the earlier policy dated 29th January 2008. The revised policy is intended to encourage the participation of both the Captive Power Producers (CPPs) and Independent Power Producers (IPPs) in development of SHP in the state.

2. Uttarakhand has a considerable small hydro power potential (about 3000 MW) in various river valleys of the State that is yet to be harnessed, with a view to maximise the utilisation of small hydro power potential, this policy has been formulated to achieve the following objectives:-
 - to harness the green power with the help of private sector to enhance the power availability in the state through the contribution of pollution free renewable energy for socio economic development of the State,

- to promote setting up of captive small hydro power projects by the high and extra high voltage industrial consumers either individually or as a joint venture with other industrial consumer,
- to supplement minimum rural energy needs through sustainable small hydro power schemes,
- to provide decentralized energy supply to agriculture, commercial and household sector,
- to provide power for industrial development in the State.
- to improve the quality of grid power through such projects, as a consequence of tail end generation and feeding,
- to create conducive environment for attracting private sector investment in development of small hydro power,
- to create public awareness and involve users/local community/Panchayat Raj Institutions, along with their capacity building in establishing, operating and managing small hydro power projects,
- to create direct and indirect employment opportunities for the youth in the State,
- to lay down the framework for the implementation of the policy,
- to frame guidelines for allotment of new SHP sites to be set-up in Private Sector and to enumerate various incentives and procedural facilities to attract, encourage and facilitate private sector participation in this area.

3. Policy guidelines :

3.1. Scope:

Uttarakhand State Government will be inviting open bids for development of small hydro projects (above 2.00 MW) under PPP (Public Private Partnership) mode. The projects will be offered for allocation only after the preparation of detailed project report of the project by the State Government Agencies. The small hydro projects under this Policy can be developed as Independent Power Plant (IPP) or as Captive Power Plant (CPP).

For the purpose of this policy, Captive Power Plant (CPP) is defined as a SHP set up under section 9 read with clause (8) of section 2 of EA 2003 and compiling the requirements stipulated in Electricity Rules 2005 notified by Ministry of Power, Govt. of India (GoI) on 8th June, 2005.

For the purpose of this policy IPP is defined as SHP setup by any person as defined in EA 2003 for generating electricity, and the electricity generated can be sold to any consumer located in the state of Uttarakhand or any other willing distribution licensee or any Power Trading Company.

The provisions of this policy are also applicable for any governmental or semi-governmental organization of GoU who owns the water reservoirs.

3.2. Classification of Projects:-

Based on the generating capacity, small hydro projects will be grouped under following two categories:-

- (a) Small hydro Power projects above 2.00 MW and upto 5.00 MW,
- (b) Small hydro projects above 5.00 MW,

3.3. Eligible Developers for Hydro Projects:

3.3.1. Developers Eligible for SHP's above 2 MW & upto 5 MW

The Small hydro power projects under Category “a” above:-

a. small hydro projects above 2.00 MW & upto 5.00 MW, shall be reserved for the following category of developers subjected to their fulfilling the technical & financial capability criteria. The projects under this category will be allocated through open competitive bidding amongst following category of developers:-

- i. Any Panchayat Raj Institution e.g. Gram Panchayat or Block Panchayat or Zila Panchayat of Uttarakhand State,
- ii. Any Community Based Organization, Society of Uttarakhand registered under the Society Registration Act 1860, subjected to the condition that all the members of the Society are Domicile of Uttarakhand,
- iii. Any registered firm/company registered under the Company Act 1956 having its registered office in Uttarakhand in which majority of the shares are owned by the Domiciles of Uttarakhand,

- iv. Any partnership firm owned by the domiciles of Uttarakhand,
 - v. Any industry registered in District Industries Offices of Uttarakhand for its own captive power use only,
 - vi. Any joint venture / consortium constituted amongst the above category of developers.
- b. Hydro power projects allocated under this category can only be transferred to the developers who are eligible under this category.
- c. **Incentive to Panchayat Raj Institutions :**

To empower and strengthen Panchayat Raj Institutions (PRI), the Local Bodies of the State Government will be encouraged to avail the financial support of the MNES for establishing small hydro power projects. As per the existing Policy of Ministry of New & Renewable Energy (MNES), financial support to setup small hydro power projects, by the Government / State Sector and Local bodies is many times more than that is available to the Private Developers. Also, the time period and percentage of financial support release is much more generous to the State Institutions.
- d. **Technical Support to Panchayat Raj Institutions :**

Panchayat Raj Institutions (Zila Panchayat / Block Panchayat / Gram Panchayat) can take the assistance from UJVN Limited, a nodal agency of Government of Uttarakhand for various activities of project e.g. statutory clearances, detailed engineering, Tenders for EPC, construction Supervision, testing and operation of the project. UJVN Limited will empanel the consultant for providing technical assistance to the PRI. The PRI will make payment directly to the selected Consultant for the services rendered by the Consultant. State Government will assist the Panchayat Raj Institution in arranging the finances from various financial institutions like NABARD, Social Venture Capital Fund available with Rural Development Department through UPASaC (Uttarakhand Parvatiya Aajeevika Sanvardhan Company).
- e. **Unallocated Projects :**

The small hydro power project that remains un-allocated even after two cycles of bidding will be automatically converted to general category

projects i.e. in the third bidding cycle, the SHP under this category may be allocated without any reservation under general category.

3.3.2. Developers Eligible for SHP's above 5 MW :

The small hydro power projects under category (b) of the Clause 3.2 above (i.e. with installed capacity more than 5.00 MW) will be open to all the developers without any reservation / preference.

3.4. Operative Period :

The policy will be in operation from the date of publication of this resolution till it is cancelled/ revised. All the projects awarded within this period will be governed by this policy.

The SHP allotted under this policy will be on Build, Operate & Transfer Basis (BOT). The BOT period will be 40 years (including Five years of construction period and 35 years of operation & Maintenance period). The BOT period will start from the date of signing of Implementation Agreement of the project. The State Government may extend the construction period of the project, in case the developer is not able to get clearances / commission the project within the stipulated period due to the circumstances that are beyond his control, but the developer will not have any right for claiming the extension. At the end of the BOT period the absolute ownership of the power project along with land, all allied works, plant & machinery etc. complete, established by the selected developer, will automatically stand transferred to the State Government or any entity of the State Government, free of cost and free of all encumbrances. Govt. of Uttarakhand may extend the BOT period at its discretion on mutually agreed terms & conditions at the time of extension of concession period.

4. The procedure for selection of developers

The procedure for selection of developers will be as under:

- 4.1** The State Government or State Sponsored Agencies will identify small hydro power projects in various river valleys of the Uttarakhand State (above 2.0 MW), will prepare the Detailed Project Report of the Small Hydro Power Project and will submit the DPR to GoU for approval.

4.2 Open Competitive Bidding for allocation of projects :

The small hydro power projects whose Detailed Project Report have been approved, will be put for bidding to the prospective bidders for detailed Engineering,

construction and operation & Maintenance under BOT mode through open competitive bidding by the State Government. The bidding process is open to both, the Independent Power Producers (IPP) and Captive Power Producers (CPP) who are eligible to participate in the bid as per the eligibility criteria detailed in Clause 3.3 above. The bids will be invited under Single Stage Two Envelope format. The RFQ cum RFP document will be made available to the bidders on payment of a prescribed fee.

4.3 Pre-Qualification Criteria :

The comprehensive tender document (Request for Qualification cum Request for Proposal RFQ/RFP) documents will be designed for inviting bids listing out threshold technical and financial parameters of the potential eligible bidders. The Prequalification parameters / eligibility Criteria for Developers / Bidders will be based on the Criteria mentioned in the “Model Request for Qualification for PPP Projects” document issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Govt. of India in 2009 and all further amendments thereof.

4.4 Evaluation of Bids :

Firstly, the applicants applications will be evaluated on the basis of pre-qualification criteria laid down in the RFQ document which will be made available on payment of a prescribed fee. Broadly, prequalification criteria would be based on balance sheet, annual report, technical and financial capacity etc. The necessary information regarding attributes to be evaluated, guidelines for evaluation, passing score on attributes required for pre-qualification will be specified in pre-qualification document. Based on the above criteria the developers will be pre-qualified and a list of technically qualified bidders will be prepared. Financial proposals of only technically qualified bidders will be evaluated. All the bids will have to be supported with the Earnest Money Deposit (EMD).

4.5 Revised Financial Bids :

The revised financial bids may be invited from all the eligible bidders, if some technical surprises or other conditions demands so. The option for invitation of revised financial bids will be at the sole discretion of the State Government and the decision of the Principal Secretary / Secretary, Department of Energy, Govt. of Uttarakhand will be final in this respect.

4.6 Bid Parameter :

The bidding parameter will be upfront premium per MW payable upfront on the envisaged installed capacity in the Detailed Project Report of the project. The highest upfront premium quoted by the prospective developer will be the sole criteria for selection of the developer i.e. the project will be allocated to the developer quoting the highest upfront premium above the threshold premium. The minimum threshold upfront premium has been mentioned in Clause 4.8 of this Policy document.

4.7 Incentive for establishing Captive Power Projects by the State Industrial Units :

4.7.1 Industrial units located in the hilly districts of the Uttarakhand State and willing to participate in the open competitive bid for the purpose of establishing small hydro power projects under this policy, for their captive use only, will be given preference by accepting their bids provided these are not less than 50% of the highest bid. Captive generating plant shall be as defined in Sub-section (8) of Section 2 of the Electricity Act 2003.

4.7.2 Industrial units located in the Plain districts of the Uttarakhand State and willing to participate in the open competitive bid for the purpose of establishing small hydro power projects under this policy, for their captive use only, will be given preference by accepting their bids provided these are not less than 20% of the highest bid. Captive generating plant shall be as defined in Sub-section (8) of Section 2 of the Electricity Act 2003.

Further, provided that such power plants are captive generating plants as defined in the Sub-Section 8 of Section -2 of Electricity Act, 2003 and fully meet the requirements prescribed for captive generating plants in Rule 3 of Electricity Act, 2005.

4.7.3 Under this Policy Clause 4.7 above, the benefit of 50% relaxation in the highest bid (upfront premium) will also be applicable to the hotels, resorts, educational institutions or other bulk power consumers having sanctioned load of more than 0.5 MW established in the Hilly districts of the State.

4.8 Threshold Premium :

4.8.1 The following is the minimum threshold upfront premium, bids quoting upfront premium below the thresh hold would be out rightly rejected :

- ❖ Above 2 MW & upto 5MW: - Rs.100,000/- per MW,
 - ❖ Above 5 MW & upto 25MW: - Rs.500,000/- per MW,
- 4.8.2** The State Government can revise the threshold premium on project to project basis at any time as it feels necessary.
- 4.9** The GoU or its designated Agency will intimate the bidder regarding his selection and will issue the Letter of Award (LoA) to the selected bidder.
- 4.10** The successful bidder will be required to deposit the upfront premium, performance security in the shape of Bank Guarantee and other amount due within the time specified in the bid document / Letter of Award (LOA).

5. Development of project :

5.1. Period for various Clearances and financial closure

Developer will arrange for all the necessary clearances & financial closure within 20 months from the date of signing of Implementation Agreement. GoU will facilitate developer in getting required clearances. However, it will be the primary responsibility of developer to arrange various clearances within the stipulated time. This period will be extended if there are valid reasons for such extension, which will be decided by Principal Secretary /Secretary, Department of Energy, GoU, but the developer will not have any claim for extension of total construction period if the clearance and financial closure period is extended. Failure of developer in arranging the various clearances & finances within the stipulated period will result into automatic cancellation of Implementation Agreement and forfeiture of Performance Guarantee.

5.2. Denial of Clearance by the Central / State Government

In case, any of the state level or central level clearance is denied for a particular reason, the performance Security may be refunded to the developer. However, under any condition cost incurred by developer for investigations, getting clearances and arranging finance will not be reimbursed to the developer. Developer will also be not eligible for any interest / compensation on the performance security deposited.

5.3. Construction Progress Monitoring

During the project implementation, the progress of the project will be monitored on the basis of various milestones & if the progress is not found satisfactory, reasons for the delay will be called for. If the reasons for the delay are found to be beyond the control of the developer, necessary time extension will be given otherwise developer would be liable to pay a penalty as prescribed in the Implementation Agreement.

5.4. The developer will be responsible for carrying out the work with due diligence with regard to his responsibilities under various Central/ State / Local laws, rules and regulations & ensure the compliance of the same.

5.5. The developer will insure the assets of the project and keep them insured during the term of Implementation Agreement.

6. Grid Interfacing & Evacuation Arrangements :

6.1. Grid connectivity to the generators including their evacuation shall be in accordance with UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and Non-fossil Fuel based Cogenerating Stations) Regulations, 2013 and its successor regulations as applicable from time to time.

6.2. The interface metering will be in accordance with the UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and Non-fossil Fuel based Cogenerating Stations) Regulations, 2013 and its successor regulations as applicable from time to time read with CEA (Installation and Metering of Meters) Regulations 2006.

6.3. Transmission and wheeling of power generated (captive generating unit)

i) The wheeling of power will be allowed to not more than one unit of the same industrial undertaking. However, a captive power plant may be set up through a Joint Venture Company constituted by a maximum of 2(two) industrial undertaking who would be eligible to exclusively consume the Power from the captive Power plant in one unit each of the participating industrial undertaking in the Joint Venture Company. For this purpose the industrial undertaking will be required to make its own transmission lines upto nearest grid Sub-Station of the utility along with the associated protective system as

per specification of the utility and the said transmission line will be maintained by the generator

- ii)** There will be no provision of sale of power by the industrial undertaking to any third party except the State distribution Company i.e UPCL.

7. Open Access :-

The generating station shall be allowed to avail Open Access in accordance with provisions of the Electricity Act, 2003 and UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and Non-fossil Fuel based Cogenerating Stations) Regulations, 2013 read with UERC (Terms & Conditions of Intra-State Open Access) Regulations, 2010 and their successor regulations as applicable from time to time.

8. Banking :

- 8.1.** Banking of power by the Generating Stations will be in accordance with UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and Non-fossil Fuel based Cogenerating Stations) Regulations, 2013 and its successor regulations as applicable from time to time.

9. MAJOR INCENTIVES :

A. ANNOUNCED BY GOI :

For the promotion of development of small hydro power (upto 25 MW), various incentives / financial assistances are announced from time to time by Ministry of Non-Conventional Energy Sources, GOI which may be availed by the developer.

B. ANNOUNCED BY GoU :

- i)** Private, sector participation in development of small hydro power sector in the Uttarakhand State will be promoted / encouraged by the state and all necessary facilities in setting up small hydro power projects will be provided by the government.

ii) Lease of Government Land :

The Govt. land, if available at project site, will be made available on lease to private investor for setting up the small hydro power project, for period

of 40 years at fixed rate Rs. 1.00 per sqm annually, which may be further renewed up to 35 years or lesser period equal to the remaining useful life of the project on mutually agreed terms and conditions among the parties. The land required for the project if available with the Government, will be leased to the developer within a period of 180 days of signing of the Implementation Agreement at the request of the developer.

iii) Lease of Local Bodies/ Gram Samaj Land :

If the required land is belonging to local bodies/ Gram Panchayat is available, the State Government would encourage the local bodies/ Gram Panchayat to provide the land for small hydro power projects on lease to private investor for setting up the small hydro power project, for a period of 40 years on lease at fixed rate Rs. 5.00 per sqm annually, which can be further renewed up to 35 years or lesser period equal to the remaining useful life of the project on mutually agreed terms and conditions among the parties.

iv) Permission of purchase of Agriculture and for Hydro Projects :

Permission of the State Government for purchase of agriculture land (more than 250 Sqm) as per the provision of Section 154, sub-section (4) (2) of the “The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition & Land Reform Act 1950), (Adaption and Modification Order, 2001) (Amendment) Act 2003” will not be required for acquiring the land for the implementation of small hydro power project with the restriction that the land purchased under this exemption will not be used for any other purpose except for the implementation of the small hydro power project.

v) Land Use Conversion :

In case of the developer acquiring private land for Setting up of small hydro Power Projects in the Agriculture Zone, he will be eligible to get the land diverted for industrial purpose from the competent revenue authority without any conversion fee/rent. Prior approval for the land use conversion of agriculture land will not be mandatory for the implementation of small hydro power projects provided the developer have applied for the conversion of land use

vi) Industry Policy benefit applicable to SHP's :

The Small Hydro Power Projects (above 2.0 MW) set up under this policy will be treated as Industry for the purpose of the Industrial Policy of the Uttarakhand State and small hydro power projects will also be eligible for all incentives, facilities & investment assistance, that are provided by the State Government, under the applicable State Industrial Policy.

vii) Exemption from Water Royalty on Earlier Commissioning :

The developer will be exempted from water royalty charges to an extent of units generated before scheduled date of commissioning.

viii) Facilitation in construction of Power Evacuation Line :

The private developer will not be required to obtain Government permission for the right of way for construction of transmission line and associated works linking with small hydro power plant with state grid substation. The Private Developer will not have to make any payment for right of way purpose for laying overhead/underground lines in the land owned by State Govt, or local bodies. However, he will be required to intimate the owner the State Government or Local bodies, as the case may be, in advance for construction of overhead lines or laying of underground cables provided the land is filled with earth and properly levelled.

ix) Issues regarding Irrigation /Minor Irrigation Department :

No clearance will be required from the Irrigation Department/Minor Irrigation Department for Implementation of small hydro power projects allocated under this Policy, however the Developer will ensure that the designed water supply to the existing canals/Hydraym schemes in the project area is maintained during the construction and operation period of the hydro power project. In case, the canal/hydraym alignment is to be realigned/relocated due to construction of the small hydro power projects, the same will be done by the Developer at his own cost in the minimum possible time during the lean irrigation demand period, so that the crops of the Cultivator are not damaged due to realignment/repair of the canal /hydraym scheme. The selected developer will have to submit a declaration/

affidavit in this regard to the Energy Department / Irrigation / Minor Irrigation department prior to the construction of the project.

x) Issues regarding Public Works Department :

No clearance will be required from Public Works Department for Implementation of small hydro power projects allocated under this Policy; however the Developer will ensure that the State Highway / National Highway roads in the project area and in the vicinity of the project are properly maintained by the developers at his own cost. If any road is to be realigned, the alternative road will be constructed prior to disruption of the existing road by the developer at his own cost, after getting necessary approval for the alignment & design of new road from the Public Works Department. The selected developer will have to submit a declaration/ affidavit in this regard to the Energy Department/Public Works Department prior to the construction of the project.

xi) Issues regarding Fisheries Department :

Clearance from fisheries the department will not be required provided the developer is complying with the provisions of the Uttarakhand Fisheries Act 2013. The selected developer will have to submit a declaration/ affidavit in this regard to the Energy Department / Fisheries Department prior to the construction of the project.

xii) Issues regarding Pey Jal Nigam/Jal Sansthan :

Clearance from the Pey Jal Nigam/Jal Sansthan will not be required, either, if any of the existing water supply project is not being affected by the proposed hydro project, or if any water supply scheme is coming in the hydro power project area, the Developer undertakes to maintain/ rehabilitate the water supply scheme at his own cost and submit such an undertaking to the Energy Department and Pey Jal Nigam/Jal Sansthan prior to the construction of the project.

xiii) Reduction in Sanctioned load for Captive Power Developers :

The industrial consumers opting to buy power from an SHP will be allowed a corresponding reduction in contract demand on a permanent basis subject to dispensation of UERC.

xiv) Facilitation for various clearances by the Energy Department :

For providing administrative support for obtaining statutory clearances at various levels, the facilitation service charges will be levied by the Energy Department or any other Agency nominated by it, on all small hydro power projects @ 0.10% of the project cost as per DPR / Revised DPR subjected to a maximum of Rs. 10.00 Lacs.

xv) Law and Order :

The State Government will be responsible for maintaining general law and order in and around the project area for security and safety of personnel and properties of the project.

10. SALE OF ELECTRICITY :

Uttarakhand Power Corporation Limited Company will have the first right of purchase of electricity generated by the SHP's allocated under this Policy at the rates determined by the Uttarakhand State Regulatory Commission. The State Government will provide guarantee for the payments to be made by the UPCL for such purchases. However, after refusal by Uttarakhand Power Corporation Limited, the developer can sell the power generated from the project to any consumer or any willing distribution licensee or any power trading company or for the captive use of new industrial consumers.

- 10.1. Wheeling of electricity:** UPCL/PTCUL will undertake to transmit through its grid the power generated and make it available to the producer for captive use or third party sale within/outside the State for which wheeling charges uniformly applicable to all producers would be announced in advance.

11. SINGLE WINDOW CLEARANCE FOR SHP PROJECTS :

Setting up of Small hydro power projects involves sanctions/ clearances from a number of Government Agencies/Departments. The State Government would provide requisite clearances in a time bound manner through a single window mechanism within a period of 90 days, for this Energy Department of the State Government or an agency nominated by it, will act as a Nodal Agency and will coordinate with various Departments for getting the requisite clearances in the fixed time period. For this purpose a high level empowered committee

(composition at **Annexure-A**) will be constituted to accord necessary approvals/clearances.

12. Benefits Under Clean Development Mechanism (CDM) :

Projects covered under this policy may not produce cheapest form of generating energy. However, keeping their environment friendly nature, the State would encourage projects to obtain the benefits available under the Clean Development Mechanism (CDM). . The State Govt has notified UJVN Limited /UREDA as the state nodal agency for carbon credits under the Clean Development Mechanism (CDM). All project developers (Private as well as Government) can seek assistance of UJVN Limited /UREDA in terms of seeking carbon credits under CDM for small hydro power projects. The CDM benefits will be shared between the Developer and the State Government as per the applicable UERC Regulations.

13. Miscellaneous :

- 13.1.** Not more than three small hydro power Projects (above 2.0 MW) will be allotted to a single Developer excluding the projects allocated under the Policy of 2008 or earlier Policies. New small hydro power projects will not be allocated to the Developer (Individual / joint Venture / consortium or a Company) in which a developer (Individual / joint Venture / consortium or a Company) to whom three nos. (3) small hydro projects have already been allocated. In such a case, the bid (s) of such bidder(s) will be out rightly rejected and will not be opened.

13.2. Allocation of Project to State Entities

The Government of Uttarakhand reserves its rights to allot a project to a State owned enterprise directly without following the provisions of this Policy. If a feasible small Hydro project (above 2.0 MW) remains un-allotted even after 2 (two) times bidding on the basis of the procedure prescribed in this Policy, the same would be allotted to any of the State Government Entity for implementation.

13.3. Projects Allocated Under the Earlier Policies

Projects allocated to various private developers before the date of publication of this Policy in the Official Gazette will continue to be governed by the Policy under which they were allotted; these would not be eligible for incentives under this Policy.

13.4. Change in the Installed Capacity of the Project

13.4.1. Enhancement of installed capacity of the allocated capacity

If in the opinion of the selected bidder, the installed capacity of the allocated project can be enhanced with respect to the allocated capacity, the selected developer shall be permitted for the same, but the selected developer will not be eligible for any time extension due to this installed capacity enhancement of the project. Also, for augmentation of capacity of the Project allocated, the developer will pay additional premium on the enhanced capacity at the rate of upfront premium on which the project was originally allocated to the developer.

13.4.2. Not Achieving the Envisaged Installed Capacity

If the allocated small hydro power project is not able to generate the envisaged generation due to change in the hydrological cycle or other natural calamities or any other reason, the upfront premium paid at the time of signing of the Implementation Agreement or part thereof shall not be refunded to the selected developer, in any case.

13.5. Transfer of Allotment

13.5.1. Prior to Commissioning

- a) The original developer of Small hydro Power project allocated under this policy may be permitted once to transfer the project prior to commercial operation of the project to any other developer, on a case to case basis by the Special Committee constituted by the Uttarakhand Government by evaluation of the reasons that necessitated the transfer of project by the original allottee. The Special Committee of the State Government may permit the transfer of project subject to the following conditions:-
 - i) This facility of transfer of projects can be availed only once by the original allottee(s).
 - ii) Financial institution has consented such transfer,
 - iii) Under the Captive Power Produce Category, the State Government is satisfied that the new developer will consume the generated energy primarily for his own use,

- iv) The Technical and financial capability of the new developer are equal to or more than the minimum eligibility criteria prescribed in the original bid document through which the project was allocated to the original developer.
 - v) New developers deposits the performance bank guarantee with the Energy Department,
 - vi) Proposed new developer agrees to all the terms & conditions agreed by the original developer.
 - vii) New developer deposits an amount equal to 20% of the total upfront premium paid by the original bidder as the transfer fees with Government of Uttarakhand for the small hydro power projects above 5.00 MW and 10% of the total upfront premium paid by the original developer, in case of projects above 2.00 MW and upto 5.00 MW. This transfer fee is in addition to the transfer fees payable, if any, to any other authority. The Department of Energy has got full authority to revise the minimum threshold transfer fee at any time as and when it feels necessary through a notification.
- b) The transfer of project prior to commercial operation will be permitted only once. If the new developer again transfers the small hydro power project to a new developer, the same will never be permitted and in such a case, the project will be reverted back to the State Government on “as is where is basis” and new developer will not be eligible for any claims for the construction done at the project site or all other payments made to energy department or any other department or to any statutory body of the State Government and also the performance security deposited will also be forfeited in the interest of the State .Government.
- c) The new developer will not claim any time extension for the project completion due to transfer of the project.

13.5.2 Transfer of Project Post Commercial Operation

Developer can transfer the project after Commercial operation with the permission of the State Government; the Department of energy will charge a

transfer fee @ 10% of the total upfront premium paid by the original developer at the time of allocation of the project.

14. IMPLEMENTATION SCHEDULE :

- i) In the event a Developer fails to achieve the various milestones of the allotted project as per the prescribed time schedule without valid reasons, the premium deposited and performance security deposit will be forfeited and the allotment would be cancelled.
- ii) In case the developer leaves any project incomplete or abandons the project or violates any condition of allotment, the Government reserves the right to take over the project without any compensation and free from encumbrances. The Government will not have any liability to take over the employees engaged in the project by the developer.

15. Inspection of project :

i) During the Construction Period:

The Government of Uttarakhand will have the right to monitor physical and financial progress of the projects on monthly / quarterly / half yearly basis as felt necessary from time to time through a technical committee constituted by the State Government/ Department of Energy. The developer will have to make available all the details / documents regarding the physical / financial and technical details as are directed by the technical Committee.

ii) During the Operation Period:

The Technical Committee constituted by the State Government / Department of energy will inspect the power project from the safety point of view and other technical aspects before and after the monsoon. The developer will render all requisite help and cooperation for such inspection. Similarly, statutory inspection from Factory inspector / Electrical Inspector will be got done. The Inspection Reports will be furnished to Govt. of Uttarakhand annually.

Developer will maintain all the record regarding capacity, generation, PLF, downtime with relevant constraints etc. and make available all these records to inspecting authority for inspection.

16. Exclusive Jurisdiction :

The regulatory frame work for generation, transmission, wheeling, banking, Distribution, tariff, Sale, Regulatory Commissions, Appellate Tribunal, Investigation and Enforcement, Offences and Penalties, Dispute Resolution and other issues pertaining to the operation of the project will be governed by the provisions made under “The Electricity Act 2003” and all subsequent amendments / provisions made thereof. Orders regulations, directives, guidelines issued under the provisions of The Electricity Act 2003, by UERC regarding these issues from time to time will be binding on the developers.

17. Royalty and other Levies :

- i) On small hydro projects above 2.00 MW and upto 5.00 MW, no royalty payment / energy would be charged by the State Government.
- ii) On Small Hydro projects (above 5.00 MW) governed by this policy, royalty payment for the first 15 years of operation would be exempted. From 16th year of operation, a royalty @ 15% of net energy generated would be charged by the State Government
- iii) The Developers of small hydro projects governed by this Policy will have to contribute 1% (one percent) of the approved project cost towards the Local Area Development Fund (LADF) during the construction phase of the project.
- iv) The Developers of small hydro projects governed by this Policy will have to contribute 1% (one percent) of the net energy generated (energy or revenue) towards the Local Area Development Fund (LADF) during the whole operation & Maintenance period of the project allocated under this policy.
- v) The selected developer of small hydro power project above 2.00 MW and upto 5.00 MW, shall contribute a total of 3% of net energy generated or equivalent revenue to the various Panchayat Raj Institutions @ 1% to the project affected Gram Panchayats, 1% to the affected Block Panchayat and 1% to the Zila Panchayat of the District in which the project is located for the entire life of the project.

- vi) The selected developer of small hydro power project above 5.00 MW, shall contribute a total of 3% of net energy generated or equivalent revenue to the various Panchayat Raj Institutions @ 1% to the project affected Gram Panchayats, 1% to the affected Block Panchayat and 1% to the Zila Panchayat of the District in which the project is located for the first 15 years of the Commercial Operation of the project during which the project is exempted of the energy royalty..
- vii) The rates of royalty charges will be reviewed after 40 years (5 years of construction period & 35 years of concession period), in case the lease period is extended by the Department of Energy.

Water Royalty, Duties, Taxes, various Cesses and other taxes :

- i) The developer will pay all statutory Central / State Government taxes, duties, cess & other levies as are applicable or are imposed from time to time, to the respective departments of the State & Central and Local Governments unless the developers are specifically exempted from paying such taxes, cesses & duties.
- ii) The developer will pay to the State; Royalty on forest products, river bed materials and any other construction materials where such royalty / monopoly fee will be applicable; as per prevalent rates.
- iii) Any remedial /compensatory measures directed by competent agencies to protect environment or any other activity found necessary by concerned Government Departments /Local Bodies, will also have to be carried out by the developer at their cost and this cost will be added to the project cost
- iv) However, to encourage and promote sale of available surplus captive power within the state and to avoid undue overburden on CPP with further levy of Electricity Duty, Govt. of Uttarakhand exempts CPPs under this policy from Electricity Duty and Tax on Sale of Electricity.
- v) It will be presumed that developer has considered all these aspects before bidding.

18. Grid Discipline :

No Compensation for Grid Failure :

Developer/ Third party consumer/ Captive user/ Licensee (authorized consumer) will abide by grid discipline & will not be entitled for any compensation in the event of grid failure, shut down, interruption in power supply etc.

Generation Restriction :

In case the generation has to be regulated due to constraints in the power system, the generation from the scheme will have to be regulated /stopped as directed by the Load Dispatch Centre: The Generating Company will not compensated for the short fall in revenue due to the intervention by SLDC/ In extraordinary circumstances arising out of threat to security of the state, public order or a natural calamity or such circumstances arising out of public interest, the developer will have to operate & maintain generating station in accordance with the directives of state government subject to the provisions of section 11 of EA, 2003. In case of shut down, no claim on account of loss of generation will be entertained.

19. Compliance of Statutory Regulations :

The developer/user agency will strictly comply with the statutory regulations of the Central Government/CERC and the State Government/SERC while implementing the project. The Developer will strictly comply with the provisions of the Forest (Conservation) Act 1980. The Developer will also pay the cost of raising Compensatory Afforestation including payment of the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted for non-forest purpose under the Forest (Conservation) Act 1980, if not exempted under any law or order of the Supreme Court of India. The provisions relating to labour welfare as in force under the labour laws applicable in Uttarakhand State should be strictly adhered to by the Developer during the implementation / operation and maintenance of the project. The provisions of the Electricity Act 2003 as amended from time to time will apply in the implementation of the small hydroelectric project in the State. The Developer will also comply with EIA Notification 2006, Water (Prevention and control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act 1981.

20. Rehabilitation And Re-Settlement :

Rehabilitation and Re-settlement works, if any, for displaced persons due to the project will be financed by the developer, as per relevant law/ guidelines of the State. The selected developer will follow the provisions of “Uttarakhand Rehabilitation and Resettlement Policy for Hydro Power Projects -2013” for the Project Affected Persons/ Families and all further amendments thereof or any other provision included subsequently.

21. Project Becoming Techno-economically Unviable Due To Natural Disaster :

If due to natural calamities e.g. slope failures, cloud burst, earthquake, bank erosion or other natural reasons, the project site becomes techno-economically unviable due to large variations in the river topographical features at the project site and the selected bidders intends to surrender the project. The request to surrender the hydro power project, in such a situation will have to be made in writing to the Govt. of Uttarakhand with documentary evidences regarding the changes in the river topography of the project area. The request of the developer will be examined and if it is found that due to change in the topography of the river in the project area, the project has become techno-economically unviable, the State Government will refund all the upfront premium deposited with the State and will also release the performance security deposited by the Developer, but no interest on upfront premium will be payable to the developer.

22. Right On Reservoir of the Hydro Power Project :

The State Government will be free to use the reservoir created for the power project for development of tourism, fishery, or as it deem fit, following the best practices of the industry, keeping in view the safety of the reservoir and concerning pollution regulations. The developer will not have any right / objections nor will be eligible for any revenue sharing for any such use of the reservoir.

23. Restoration of Project with the State Government after Completion of Concession Period :

On completion of BOT period the entire project components including transmission system will be transferred by the developer to the Government in proper working condition free of cost and free of all encumbrances. The

Government will not have any liability to take over the employees engaged in the project by the developer. In case the Government do not extend the BOOT period and the developer do not transfer his project components as specified above, the Government/UJVN Limited on being authorized by Govt, will have the right to recover the property with all the project components. In case there is any subsisting liability the developer will be personally liable for the same.

24. POWER TO REMOVE DIFFICULTIES :

Provisions in the Policy will be periodically reviewed in view of the dynamic economics of the sector. In normal circumstances next review will be after three years. However, Government of Uttarakhand reserves the right to amend / delete certain provisions of this policy and include additional provisions, if found necessary for operational ease or to deal with unforeseen issues or if found necessary due to any further dispensation of Government of India or UERC as the case may be. Government of Uttarakhand may from time to time issue orders and practice directions in regard to the implementation of this policy and matters incidental or ancillary thereto as the Government of Uttarakhand may consider appropriate. However, such amendments will be made applicable with prospective effects only.

25. DISAMBIGUATION :

Principal Secretary / Secretary to Government of Uttarakhand, Department of Energy will be vested with powers to amend/ relax/ interpret provisions under the policy in consultation with the concerned Government Departments/Agencies.

26. APPLICABILITY :

The policy and incentive will be effective from the date of notification of this Policy in the Official Gazette of Uttarakhand Government and this policy will remain in operation till the Government notifies the new policy or this policy is revised. All the projects awarded within this period will be governed by this policy.

The SHP allotted under this policy will be on Build, Operate & Transfer Basis (BOT). The BOT period will be 40 years (including 5 years construction period & 35 years concession period). The BOT period will start from the date of signing of Implementation Agreement of the project. At the end of the BOT period the

absolute ownership of the hydro power project along with land, power house, switchyard, power evacuation system & allied equipment will automatically stand transferred to the State Government or any agency notified by the State Government free of cost and free of all encumbrances. For giving effect to this policy, necessary amendments in various enactments, wherever necessary, will be expeditiously undertaken by the concerned departments.

Dr. Umakant Panwar
Secretary

ANNEXURE “A”

CONSTITUTION OF EMPOWERED COMMITTEE

Composition of Empowered Committee :

The Empowered Committee of Administrative Secretaries for according approvals/ clearances is constituted as under:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Chief Secretary, Government of Uttarakhand | - Chairman |
| 2. | Additional Chief Secretary, GOU | - Vice Chairman |
| 3. | Principal Secretary/ Secretary, Dept. of Energy, GOU | - Member |
| 4. | Principal Secretary/ Secretary, Dept. of Finance, GOU | - Member |
| 5. | Principal Secretary/ Secretary, Dept. of Irrigation, GOU | - Member |
| 6. | Principal Secretary/ Secretary, Dept. of Forest, GOU | - Member |
| 7. | Principal Secretary/ Secretary, Dept. of Industry, GOU | - Member |
| 8. | CMD/MD, Uttarakhand Power Corporation Limited. | - Member |
| 9. | CMD/MD, Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited. | - Member |
| 10. | CMD/MD, PTCUL | - Member |
| 11. | Managing Director, UIPC | - Member |
| 12. | Additional Secretary, Dept. of Energy, GOU | - Convener |

The Committee may co-opt other Principal Secretaries /Secretaries/State Government officials from various Departments and experts as and when required (e.g. Principal Secretary, Local Bodies and Rural Development etc.) in respect of projects in their respective jurisdiction. The Empowered Committee will also oversee implementation of this Policy by the Departments/ Agencies.

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग—०१
संख्या—५३/I/२०१५-०४/२०१४
देहरादून : दिनांक : ३१ जनवरी, २०१५

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद—१६२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निजी विकासकर्ताओं एवं सामुदायिक सहभागिता आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु इस विषय में विद्यमान पूर्व समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुये “लघु जल विद्युत परियोजना विकास नीति, २०१५” (०२ से २५ मेगावॉट क्षमता तक) को इस अधिसूचना की तिथि से लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त नीति विद्युत अधिनियम, २००३ के किसी प्राविधान के विरोधाभास होने पर विद्युत अधिनियम, २००३ में दी गयी व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

१. विद्युत व्यवस्था देश/प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश/प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास गुणवत्तायुक्त विद्युत का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः यह अति आवश्यक है कि प्रदेश में विद्युत को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध कराया जाए। उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगीकरण के कारण विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ रही है। तथापि राज्य में विद्युत का उत्पादन विद्युत मांग के अनुरूप नहीं बढ़ाया जा सका है। जिसके फलस्वरूप राज्य में विद्युत की उपलब्धता और विद्युत की मांग के मध्य एक बड़ा अन्तर है। वर्तमान विद्युत उपलब्धता के परिपेक्ष्य में प्रातःकाल एवं सायंकाल जबकि विद्युत की मांग अधिकतम होती है परिस्थितियां अत्यन्त प्रतिकूल हो जाती हैं तथा ग्रिड संचालन की सुरक्षा हेतु पूरे प्रदेश में विद्युत की रोस्टरिंग/बिना पूर्व निर्धारित कठौती आवश्यक हो जाती है।

राज्य सैक्टर के अन्तर्गत मध्यम एवं बृहद जल विद्युत परियोजनाओं से ३१ दिसम्बर २०१३ तक, कुल जल विद्युत उत्पादन २००६.०१ मेगावाट तथा नवीकरणीय स्रोतों से १८८.९७ मेगावाट था। उत्तराखण्ड राज्य में कुल विद्युत स्थापित क्षमता राष्ट्रीय स्थापित विद्युत क्षमता का १.११ प्रतिशत है। वर्ष २०१३–२०१४ में कुल विद्युत की मांग ११९४४ मिलियन यूनिट थी जिसके सापेक्ष प्रदेश के हिस्से में ११४९९ मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन उपलब्ध हुआ अर्थात् मांग तथा उत्पादन के मध्य ३.८ प्रतिशत की कमी रही। प्रदेश में अधिकतम मांग के समय ४.२ प्रतिशत की कमी तथा कुल ऊर्जा आपूर्ति में १.५–३.८ प्रतिशत की कमी रही।

उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु प्रचुर प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकांश स्रोतों का दोहन पर्यावरणीय स्वच्छ लघु, मध्यम एवं बृहद जल विद्युत परियोजनाओं के विकास द्वारा किया जा सकता है, अभी तक अनुमानतः 20,000 मेंदा० क्षमता के उपरोक्त ऊर्जा स्रोतों का दोहन किया जाना शेष है। वर्ष 2020 तक उपरोक्त ऊर्जा स्रोतों से 10,000 मेंदा० तक जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड राज्य की अधिकांश नदियाँ/स्ट्रीम्स छोटी हैं जिन पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास बिना किसी जोखिम के किया जा सकता है तथा इन पर लगभग 3,000 मेंदा० लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है। उपरोक्त के अनुरूप लघु जल विद्युत परियोजनाओं के स्वच्छ एवं नवीकरणीय होने के कारण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं की उपलब्ध क्षमता के दोहन हेतु अधिकतम प्रयास किये जा रहे हैं, ये परियोजनाएँ रन-ऑफ-द-रिवर होने के कारण पुर्णवास एवं पुर्णस्थापना के प्रकरण नगण्य होते हैं तथा परियोजनाओं के घटक भी आकार में छोटे रहते हैं। जिसके कारण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्रभाव न्यूनतम होते हैं।

इन लघु जल विद्युत परियोजनाओं को पूर्व निर्धारित समयावधि में विकसित किया जा सकता है तथा कार्यस्थल पर न्यूनतम आकर्षिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। जबकि मध्यम एवं बृहद जल विद्युत परियोजनाओं की क्रियान्वयन अवधि अधिक रहती है। इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के विकास में भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2008 में “निजी विकासकर्ताओं एवं सामुदायिक सहभागिता आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु नीति” शासनादेश संख्या 263/I(2)/2008-04(8)-96/2001 दिनांक 29-01-2008 द्वारा प्रख्यापित की गई थी। यह नीति समस्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निजी/सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से 25 मेंदा० तक स्थापित क्षमता की परियोजनाओं को विकसित किये जाने हेतु अनुमन्य थी।

उत्तराखण्ड सरकार की उपरोक्त प्रख्यापित नीति दिनांक 29-01-2008 के क्रियान्वयन के मध्य त्वरित एवं सुचारू रूप से विभिन्न श्रेणी के ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ऊर्जा नीति में सुधार/संशोधन किये जाने हेतु अनेकों सुझाव प्राप्त हुए। तदानुसार सूक्ष्म (100 किंदा० तक) एवं अति लघु (100 किंदा० से अधिक एवं 02 मेंदा० तक) जल विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा यथा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास/कृषि अवशेष ऊर्जा को-जेनरेशन ऊर्जा, नगरीय कचरे से ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा आदि हेतु पृथक-पृथक नीतियां निर्गत की जा रही हैं।

उपरोक्त परिपेक्ष्य तथा प्रदेश में उपलब्ध लघु जल विद्युत के निजी/सामुदायिक सहभागिता के आधार पर त्वरित दोहन हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पुनरीक्षित लघु जल विद्युत नीति प्रख्यापित की जा रही है। यह नीति 29–01–2008 को निर्गत नीति को प्रतिस्थापित करेगी। पुनरीक्षित नीति का उद्देश्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में कैप्टिव पावर उत्पादकों एवं निजी विद्युत उत्पादकों के योगदान को प्रोत्साहित करना है।

2. नीति का उद्देश्य :-

उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न नदी घाटियों में लगभग 3,500 मेवातों के लघु जल विद्युत क्षमता का दोहन किया जाना शेष है, लघु जल विद्युत परियोजनाओं की उपलब्ध क्षमता के अधिकतम दोहन हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु इस नीति का गठन किया रहा है।

- पर्यावरणानुकूल लघु जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों का दोहन एवं राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इनके योगदान का बढ़ावा दिया जाना।
- उच्च अथवा अति उच्च क्षमता उपभोक्ता औद्यौगिक इकाइयों को अकेले अथवा अन्य औद्यौगिक उपभोगताओं के साथ संयुक्त उपक्रम के माध्यम से कैप्टिव लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- निजी लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों की न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति।
- कृषि, औद्यौगिक, व्यवसायिक एवं घरेलू क्षेत्रों को विकेन्द्रीकृत विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने।
- प्रदेश के औद्यौगिक विकास हेतु विद्युत उपलब्ध कराना।
- इस तरह की परियोजनाओं द्वारा उत्पादन वृद्धि कर प्रेषण के अन्तिम छोर तक ग्रिड ऊर्जा की गुणवत्ता का सुधार करना।
- लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निजी निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां सृजित करना।
- जन जागरूकता पैदा करना एवं उपभोगताओं/स्थानीय समुदायों को जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, संचालन एवं प्रबन्धन हेतु क्षमता वृद्धि करते हुए परियोजनाओं में शामिल करना।
- प्रदेश के युवाओं हेतु परोक्ष अथवा अपरोक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।
- नीति के कार्यन्वयन हेतु ढांचे का निर्धारण करना।
- नई लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निजी क्षेत्र में स्थापित करने हेतु किये जाने हेतु आवंटन के दिशा-निर्देशों का निर्धारण तथा निजी क्षेत्र को आकर्षित/प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों तथा सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रक्रियायें।

3. नीतिगत दिशानिर्देश

3.1 अभिप्राय :-

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) प्रक्रिया के अन्तर्गत (2.00 मेगावाट से अधिक) की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु खुली निविदायें आंमत्रित की जाएगी। परियोजनायें राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद आवंटन हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। इस नीति के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजनायें निजी विकासकर्ता अथवा कैप्टिव विकासकर्ता द्वारा विकसित की जा सकेंगी।

इस नीति के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजना हेतु कैप्टिव विकासकर्ता की परिभाा ा विद्युत अधिनियम, 2003 के सैक्षण्य-09 सपष्टित क्लाज पार्ट सैक्षण्य-02 एवं विद्युत अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्णित आवश्यकताओं के अनुरूप होगा जो कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 08-06-2005 द्वारा अधिसूचित है।

इस नीति के अन्तर्गत निजी विकासकर्ता, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत परिभाा ा त है तथा इसके अन्तर्गत परियोजना से उत्पादित ऊर्जा किसी भी उपभोक्ता किसी भी वितरण लाईसेंसधारी अथवा पावर ट्रेडिंग कम्पनी को बेचा जा सकता है।

इस नीति के प्राविधान उत्तराखण्ड सरकार के किसी भी सरकारी अथवा अर्धसरकारी संगठन परभी लागू होंगे जिनके अन्तर्गत जलाशय का स्वामित्व है।

3.2 परियोजनाओं का वर्गीकरण :-

स्थापित उत्पादन क्षमता के आधार पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं को निम्नलिखित दो श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायगा :

- अ. लघु विद्युत परियोजनाएँ – 2 मेगावाट से अधिक और 5 मेगावाट तक
- ब. लघु विद्युत जल परियोजनाएँ – 5 मेगावाट से अधिक

3.3 जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन में प्राथमिकता :-

3.3.1 02 मेगावाट से 05 मेगावाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु योग्य विकासकर्ता :-

- (क) 2 मेवाा से 5 मेवाा क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजना निम्न श्रेणी के विकासकर्ताओं के लिए आरक्षित होगी तथापि उनके द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय योग्यतायें पूर्ण की गयी हो। इस श्रेणी के परियोजनाओं का आवंटन खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के आधार पर उक्त विकासकर्ताओं के मध्य ही किया जायेगा :-

- i. कोई भी पंचायती राज संस्थान यथा ग्राम पंचायत या ब्लाक पंचायत या जिला पंचायत
- ii. कम्पूनिटी आधारित संस्था जो कि सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, इस शर्त के साथ की सोसाईटी के सभी सदस्य उत्तराखण्ड राज्य के सद्भाविक निवासी हो।
- iii. कोई भी कम्पनी जो कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में हो, जिसके अधिकतम निदेशक उत्तराखण्ड राज्य के सद्भाविक निवासी हो।
- iv. ऐसे संयुक्त उपक्रम जिसके समर्त सदस्य उत्तराखण्ड राज्य के सद्भाविक निवासी हो।
- v. कोई भी उद्योग जो उत्तराखण्ड के जिला उद्योग कार्यालयों में पंजीकृत हो, को केवल कैप्टिव विकासकर्ता हेतु।
- vi. उपरोक्त श्रेणी के विकासकर्ताओं का कोई भी संयुक्त उपक्रम/संकाय।

(ख) उपरोक्त श्रेणी—अ में वर्गीकृत लघु जल विद्युत परियोजनायें आवंटन के पश्चात राज्य सरकार से अनुमोदन के उपरान्त केवल उसी श्रेणी के विकासकर्ताओं को स्थान्तरित की जा सकती है जिस श्रेणी के अन्तर्गत उक्त परियोजना आवंटित की गयी हो।

(ग) पंचायती राज संस्थाओं हेतु विशेष लाभ :-

राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को सशक्त एवं मजबूत करने हेतु इन संस्थाओं को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु वित्तीय अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य स्तर/स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण किये जाने की दशा में दी जाने वाली वित्तीय सहायता अन्य निजी विकासकर्ताओं से कई गुनी है तथा वित्तीय सहायता का प्रतिशत एवं अनुदान अवमुक्त करने की अवधि भी अत्यन्त उदार हैं।

(घ) पंचायती राज संस्थाओं हेतु तकनीकी सहायता :-

पंचायती राज संस्थाओं को लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां, विस्तृत इंजीनियरिंग, निविदाएं, निर्माण निरीक्षण तथा टेस्टिंग हेतु जल विद्युत निगम द्वारा संयोग प्रदान किया जायेगा। इस हेतु जल विद्युत निगम द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा तथा पंचायती राज संस्थाएं इन तकनीकी विशेषज्ञों से सीधी तकनीकी सहायता ले सकती हैं जिस हेतु इन तकनीकी विशेषज्ञों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सीधे भुगतान किया जायेगा। प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को वित्त पोषण हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजित

उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी अथवा नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी।

(च) अनावंटित जल विद्युत परियोजनायें :-

यदि कोई लघु जल विद्युत परियोजना उक्तानुसार दो बार निविदा आमंत्रित करने के बाद भी अनावंटित रह जाती है तो उस लघु जल विद्युत परियोजना को बिना किसी आरक्षण के सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित किया जायेगा।

3.3.2 05 मेगावाट से अधिक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु योग्य विकासकर्ता :-

उपरोक्त क्लाज 3.2 श्रेणी-ब के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजनाओं (अर्थात् 5 मेघा० वा० से अधिक स्थापित क्षमता) सभी विकासकर्ताओं को बिना किसी आरक्षण/प्राथमिकता के आवंटित की जायेगी।

3.4. नियंत्रण अवधि या समीक्षा अवधि :-

यह नीति प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित मानी जायेगी जब तक की इसको निरस्त/पुनरीक्षित न किया जाये। इस अवधि में आवंटित की गई परियोजनायें इस नीति से आच्छादित होंगी।

इस नीति के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजनाओं को निर्माण, संचालन एवं स्थानान्तरण (बिल्ड, आपरेट एण्ड ट्रांस्फर) के आधार पर आवंटित की जायेंगी। बीओटी (बिल्ड, आपरेट एण्ड ट्रांस्फर) अवधि 40 वर्ष होगी जिसमें 05 वर्ष की निर्माणावधि एवं 35 वर्ष की संचालन अवधि रहेगी। बीओटी अवधि परियोजना के क्रियान्वयन अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ हो जायेगी। यदि विकासकर्ता 05 वर्ष की निर्माणावधि में परियोजना निर्माण का कार्य ऐसे कारणों से पूर्ण नहीं कर पाता है जो विकासकर्ता के नियन्त्रण से बाहर हों तो प्रदेश सरकार परियोजना की निर्माणावधि को बढ़ा सकती है, परन्तु विकासकर्ता इस विस्तारीकरण हेतु कोई दावा करने हेतु अधिकृत नहीं होगा।

BOT (Built, Operate, Transfer) अवधि समाप्त होने के उपरान्त परियोजना की समस्त मालिकाना हक जिसमें परियोजना की भूमि, वाटर कंडक्टर सिस्टम, परियोजना के सभी अव्यव, स्थिचयर्ड तथा विद्युत पारेषण प्रणाली खतः ही प्रदेश सरकार अथवा प्रदेश सरकार के किसी उपक्रम को बिना किसी मूल्य के हस्तान्तरित हो जायेंगे। उत्तराखण्ड शासन द्वारा आपसी सहमति प्रीमियम के आधार पर BOT की अवधि विस्तारित की जा सकती है।

4. विकासकर्ता हेतु चयन प्रक्रिया :-

विकासकर्ता के चयन के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है :—

4.1 राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के द्वारा विभिन्न नदी घाटियों में प्रस्तावित लघु जल विद्युत योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर अनुमोदन के लिए उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत करेगी।

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन हेतु खुली प्रतिर्षधात्मक निविदा :-

लघु जल विद्युत परियोजनाएँ जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, उन परियोजनाओं कोबी०ओ०टी० के अन्तर्गत विस्तृत इंजीनियरिंग, निर्माण, और संचालन तथा रख रखाव हेतु खुली निविदा के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। निविदा प्रक्रिया ऐसे निजी विद्युत विकासकर्ता तथा कैप्टिव विकासकर्ता दोनों के लिए खुली होगी जो निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। निविदायें एकल स्टेज दो आवरण प्रक्रिया के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेंगी। विकासकर्ताओं को निविदा प्रपत्र (आरएफक्यू कम आरएफपी) एक निर्धारित फीस भुगतान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

प्री-क्वालिफिकेशन मापदण्ड :-

व्यापक निविदा प्रपत्र (Request for Qualification cum Request for Proposal) निविदाकर्ताओं की तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता के बाय में विस्तृत विवरण अंकित करते हुए तैयार किया जायेगा। निविदा प्रपत्र में तकनीकी एवं वित्तीय योग्यताओं का निर्धारण वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत “मॉडल डॉक्यूमेंट फॉर क्वालिफिकेशन फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट 2009” एवं उसके अनुवर्ती संशोधनों के अनुरूप किया जायेगा।

निविदाओं का मूल्यांकन :-

प्रथमतयः विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्रों को आरएफक्यू डॉक्यूमेंट में अंकित प्री-क्वालिफिकेशन के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। मुख्यतः प्री-क्वालिफिकेशन का आधार बेलेंसशीट वार्षिक रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता आदि होगा। पूर्व योग्यता के लिए आवश्यक मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश प्री-क्वालिफिकेशन प्रपत्र में अंकित होंगे। उपरोक्त मापदंडों के अनुसार विकासकर्ताओं को पूर्व योग्य माना जायेगा तथा तकनीकी रूप से योग्य विकासकर्ताओं की सूची तैयार की जायेगी। तकनीकी रूप से योग्य विकासकर्ताओं के ही वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा। समस्त निविदाओं के साथ धरोहर धनराशि का जमा किया जाना आवश्यक होगा।

4.5 पुनरीक्षित वित्तीय निविदा :-

यदि किन्हीं तकनीकी कारणों अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण आवश्यकता होती है तो समस्त योग्य विकासकर्ताओं से संशोधित वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। संशोधित वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकार का होगा तथा इस विषय में प्रमुख सचिव/सचिव उर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

4.6 निविदा आधार :-

निविदा का आधार प्रति मेंवा० ० अपफ्रन्ट प्रीमियम होगा जो कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परियोजना की स्थापित क्षमता के आधार पर होगा। अधिकतम निविदा ही चयन का आधार होगा अर्थात् परियोजना उस विकासकर्ता को आवंटित की जायेगी जो अधिकतम अपफ्रन्ट प्रीमियम अंकित करेगा, जो कि न्यूनतम प्रीमियम से अधिक हो। न्यूनतम अग्रिम प्रीमियम निविदा प्रपत्र में उल्लेखित होगा।

4.7 औद्योगिक संस्थानों द्वारा कैप्टिव प्रोजेक्ट लगाने पर वित्तीय लाभ :-

4.7.1 इस नीति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों में स्थित औद्योगिक ईकाइयां जो अपने कैप्टिव इस्तेमाल के लिए लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य से खुली प्रतिस्पर्धा बोली में भाग लेंगी, की निविदाओं को वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा, यदि उनके द्वारा प्रदत्त अपफ्रन्ट की दरें अधिकतम अपफ्रन्ट निविदा दरों से 50 प्रतिशत से कम नहीं हों। कैप्टिव विकासकर्ता को कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट की पात्रता विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-2, उपधारा-८ में परिभाषित है।

4.7.2 इस नीति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के मैदानी जनपदों में स्थित औद्योगिक ईकाइयां जो अपने कैप्टिव इस्तेमाल के लिए लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य से खुली प्रतिस्पर्धा बोली में भाग लेंगी, की निविदाओं को वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा, यदि उनके द्वारा प्रदत्त अपफ्रन्ट की दरें अधिकतम अपफ्रन्ट निविदा दरों से 20 प्रतिशत से कम नहीं हों। कैप्टिव विकासकर्ता को कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट की पात्रता विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-2, उपधारा-८ में परिभाषित है।

“कैप्टिव विद्युत उत्पादक” को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-2, उपधारा-८ में परिभाषित हैं तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादक को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-३ में अंकित समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करना आवश्यक है।

4.7.3 इस नीतिके उपरोक्त बलौज 4.7 के अनुरूप, अपफ्रन्ट प्रीमियम में 50 प्रतिशत की वरीयता, पर्वतीय जनपदों में स्थित होटल, रिसोर्ट, शैक्षण संस्थान, थोक विद्युत उपभोक्ता जिनका स्वीकृत विद्युत भार ०.५० मेंवा० से अधिक हो को भी अनुमन्य होगी।

4.8 न्यूनतम अपफ्रंट प्रीमियम :—

4.8.1 अपफ्रन्ट प्रीमियम की न्यूनतम दरें निम्नानुसार है न्यूनतम दरों से कम दरें अंकित करने वाली निविदायें प्रथमदृष्ट्यः निरस्त कर दी जायेगी :—

- ❖ 2 MW से ऊपर और 5 MW तक : 100,000/- प्रति मेगावाट या उसका भाग
- ❖ 5 MW से ऊपर और 25 MW तक : 500,000/- प्रति मेगावाट या उसका भाग

4.8.2 उपरोक्त न्यूनतम अपफ्रन्ट प्रीमियम को परियोजना विशेष के आधार पर पुनरीक्षित करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकार/प्रमुख सचिव/सचिव (ऊर्जा), का होगा।

4.9 उत्तराखण्ड सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी संस्था विकासकर्ता को उसके चयन तथा आवंटनपत्र (एलओए) के विषय में सूचित करेंगे।

4.10 सफल निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र/आवंटन प्रपत्र में अंकित समयावधि के अन्दर अपफ्रन्ट प्रीमियम एवं अन्य देयक जमा कराने होंगे।

5. परियोजना विकास :—

5.1 विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियां एवं वित्तीय अनुबन्ध :—

विकासकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के साथ क्रियान्वयन अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के दिनांक से 20 माह के भीतर समस्त आवश्यक स्वीकृतियां एवं वित्तीय अनुबन्ध करना होगा। उत्तराखण्ड सरकार विकासकर्ता को स्वीकृतियां प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी। तथापि निर्धारित समयावधि में समस्त स्वीकृतियां प्राप्त करने का प्राथमिक दायित्व विकासकर्ता का ही होगा। इस अवधि को वैधः कारणों के होने पर विस्तारित किया जा सकता है, तथा इस वि य में निर्णय प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा लिया जाएगा। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विभिन्न स्वीकृतियां एवं वित्त व्यवस्था न होने की दशा में विकासकर्ता का क्रियान्वयन अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी परफोरमेंस प्रतिभूति राज्यसात कर ली जायेगी। इस दशा में परियोजना के अन्वेषण, स्वीकृतियाँ, वित्तीय व्यवस्था आदि पर किये गये व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

5.2 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान न करना :—

यदि किसी विशेष कारणवश राज्य स्तर अथवा केन्द्र सरकार स्तर पर दी जाने वाली वॉल्डित स्वीकृतियाँ प्रदान नहीं की जाती हैं तो उस स्थिति में विकासकर्ता को परफोरमेंस प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी तथापि किसी भी दशा में परफोरमेंस प्रतिभूति पर किसी भी प्रकार का ब्याज या क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

5.3 निर्माण कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण :-

परियोजना के क्रियान्वयन के समय परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण विभिन्न Milestone के आधार पर किया जायेगा तथा यदि परियोजना की प्रगति सन्तो अजनक नहीं पायी जाती है तो विकासकर्ता से विलम्ब के कारण मॉगे जाएँगे। यदि विलम्ब का कारण, विकासकर्ता के नियन्त्रण में नहीं हैं, तो उस स्थिति में विकासकर्ता को आवश्यक समय विस्तार प्रदान किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में क्रियान्वयन अनुबन्ध में दिये गये प्राविधान के अनुसार विकासकर्ता अर्थदण्ड (Penalty) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- 5.4** विकासकर्ता समस्त कार्योंको पूर्ण बुद्धिमता से विभिन्नकेन्द्रीय/राज्य/स्थानीय कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करने हेतु उत्तरदायी होगा और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा।
- 5.5** विकासकर्ता के द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन अनुबन्ध अवधि तक परियोजना की संपत्ति का बीमा कराया जाना होगा।

6. ग्रिड इंटर फेसिंग एवं निकासी व्यवस्था :-

- 6.1** ग्रिड इंटर फेसिंग एवं निकासी व्यवस्था उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रख्यापित भूनवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों तथा गैर जीवाश्म—ईंधन—आधारित सह—उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन विनियम—2013 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों जो समय—समय पर निर्गत किये जायेंगे, के आधार पर प्रदान की जायेगी।
- 6.2** इंटर फेस मीटिंग उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रख्यापित भूनवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों तथा गैर जीवाश्म—ईंधन—आधारित सह—उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन विनियम—2013 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों जो समय—समय पर निर्गत किये जायेंगे तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्गत “मीटर की इन्स्टालेशन तथा मीटिंग अधिनियम, 2006” के अनुसार की जायेगी।

6.3 ट्रांसमिशन और उत्पन्न विद्युत की व्हीलिंग (कैप्टिव जनरेटिंग यूनिट हेतु) :-

- i) प्रदेश की विद्युत वितरण संस्था द्वारा ऊर्जा व्हीलिंग की सुविधा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमन्य दरों पर प्रदान की जायेगी। व्हीलिंग की सुविधा उसी औद्यौगिक इकाई की एक से अधिक अन्डरटेकिंग को अनुमन्य न होगी। तथापि कैप्टिव विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापना अधिकतम दो औद्यौगिक इकाईयों के संयुक्त उपक्रम द्वारा की जा सकती है इस दशा में कैप्टिव ऊर्जा केन्द्र से उत्पादित ऊर्जा संयुक्त उपक्रम की एक—एक ईकाईयों द्वारा प्रयोग की

जा सकती है। इस उद्देश्य हेतु औद्योगिक अन्डरटेकिंग को यूटीलिटी के निकटवर्ती ग्रिड सब स्टेशन से अपनी स्वयं की पारे आ लाईनें तथा सुरक्षा व्यवस्था यूटीलिटी की विशिष्टियों के अनुरूप निर्माण करनी होगी तथा इस पारेषण लाईन का रख-रखाव कैप्टिव उत्पादक द्वारा किया जायेगा।

- ii) औद्योगिक उपक्रम द्वारा विद्युत की बिक्री किसी भी तीसरे पक्ष को राज्य वितरण कम्पनी यथा यूपीसीएल को छोड़कर किये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा, तथापि अधिकतम दो औद्योगिक इकाईयों के संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित कैप्टिव विद्युत उत्पादन केन्द्र से उत्पादित ऊर्जा संयुक्त उपक्रम की एक-एक ईकाईयों द्वारा प्रयोग की जा सकती है।

7. ओपन एक्सेस :-

उत्पादक विद्युत गृह द्वारा उत्पादित विद्युत को विद्युत अधिनियम, 2003, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रख्यापित “नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन-आधारित सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन विनियम-2013 एवं उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रख्यापित (Term and conditions of intrastate open access) अधिनियम, 2013 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों जो समय-समय पर निर्गत किये जायेंगे, के आधार पर प्रदान की जायेगी

8. बैंकिंग :-

7.1 उत्पादन स्टेशनों को बैंकिंग की सुविधा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रख्यापित भनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन-आधारित सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन विनियम-2013 एवं इसके समय-समय पर निर्गत अनुवर्ती संशोधनों के आधार पर प्रदान की जायेगी।

9. मुख्य प्रोत्साहन :-

(अ) भारत सरकार द्वारा घोषित :-

लघु जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट तक) के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु समय-समय पर गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता घोषित की जाती है जिसको विकासकर्ता ग्रहण कर सकता है।

(ब) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा घोषित :-

i. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्य में लघु जल विद्युत क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु कटिबद्ध है तथा इस क्षेत्र को स्थापित करने हेतु राज्य सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

ii. सरकारी भूमि की लीज :-

परियोजना स्थल पर यदि राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध है तो लघु जल विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु उक्त भूमि रूपये 01 प्रति वर्ग मीटर वार्षिक की दर से 40 वर्ष की लीज अवधि पर उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त लीज अवधि आगामी 35 वर्ष अथवा संयत्र के अवशेष उपयोगी जीवनकाल, जो भी कम हो, तक की अवधि हेतु आपसी सहमत नियम एवं शर्तों के अनुसार बढ़ा दी जायेगी। परियोजना हेतु यदि राजकीय भूमि उपलब्ध है तो विकासकर्ता को उसके प्रार्थना किये जाने पर क्रियान्वयन अनुबन्ध करने के 180 दिवस के भीतर उक्त भूमि लीज पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

iii. स्थानीय निकायों/ग्राम समाज भूमि की लीज :-

परियोजना स्थल पर यदि स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायत की भूमि उपलब्ध है तो लघु जल विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु उक्त भूमि रूपये 05 प्रति वर्ग मीटर वार्षिक की दर से 40 वर्ष की लीज अवधि पर उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देगी। उक्त लीज अवधि आगामी 35 वर्ष अथवा संयत्र के अवशेष उपयोगी जीवनकाल, जो भी कम हो, तक की अवधि हेतु आपसी सहमत नियम एवं शर्तों के अनुसार बढ़ा दी जायेगी।

iv. जल विद्युत परियोजना निर्माण हेतु कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति :-

"The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition & Land Reform Act 1950), (Adaption and Modification Order, 2001) (Amendment) Act 2003" की धारा 154 उपधारा (4)(2) के प्राविधानों के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजना निर्माण हेतु 250 वर्ग मीटर से अधिक कृषि भूमि क्रय करने हेतु राज्य सरकार से वांछित अनुमति में छूट इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि विकासकर्ता इस छूट के अन्तर्गत क्रय भूमि पर जल विद्युत परियोजना क्रियान्वयन के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग नहीं करेगा।

v. भूमि उपयोग परिवर्तन :-

कृषि क्षेत्र में लघु जल विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि को राजस्व विभाग की सक्षम अधिकारी द्वारा निःशुल्क भू-उपयोग परिवर्तन किया जायेगा। परियोजना निर्माण से पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति वांछित न होगी यदि परियोजना विकासकर्ता द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।

- vi. **लघु जल विद्युत परियोजनाओं को औद्योगिक नीति के लाभ अनुमन्य :—**
इस नीति के अन्तर्गत स्थापित लघु जल विद्युत परियोजनायें उत्तराखण्ड शासन द्वारा घोषित नीति के अन्तर्गत उद्योग मानी जायेंगी तथा राज्य सरकार की उद्योगों हेतु औद्योगिक नीति, 2003 एवं अनुवर्ती संशोधनों के अनुरूप अनुमन्य समस्त प्रोत्साहन, सुविधायें तथा निवेश सहायता आदि हेतु लघु जल विद्युत परियोजनाएँ भी पात्र होंगी।
- vii. **समय पूर्व उत्पादन की दशा में जल कर अधिनियम से छूट :—**
विकासकर्ता को परियोजना के निर्धारित उत्पादन दिनांक से पूर्व उत्पादित विद्युत पर “उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम—2012” पर जुल्क से छूट प्रदान की जायेगी।
- viii. **पारेषण लाईन निर्माण हेतु सुविधायें :—**
लघु जल विद्युत परियोजना संयत्र से राज्य ग्रिड सब स्टेशन तक बनायी जाने वाली पारेषण लाईन एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों के निर्माण हेतु निजी विकासकर्ता को राइट ऑफ वे (Right Of Way) की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। निजी विकासकर्ता को राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों की भूमि से भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर पारे एवं लाईन निर्माण हेतु राइट ऑफ वे (Right Of Way) के लिए कोई भी भुगतान नहीं करना होगा। तथापि उसको भूमिगत अथवा भूमि से ऊपर पारेषण लाईन निर्माण करने से पूर्व भूमि के स्वामी प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय निकायों, जो भी अनुमन्य हो को पूर्व सूचना देनी होगी। इसमें ये शर्त समाहित है कि विकासकर्ता भूमि का ठीक से भरान व लेवलिंग का कार्य करेगा।
- ix. **सिचाई/लघु सिचाई विभाग के विषय में व्यवस्था :—**
इस नीति के तहत आवंटित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सिचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होगी। तथापि विकासकर्ता परियोजना के निर्माण एवं परिचालन की अवधि में यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना क्षेत्र में स्थित वर्तमान नहरों/हाईड्रम योजना से जलापूर्ति तथा सड़कों पर परियोजना निर्माण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी कारण नहरों/हाईड्रम योजना का समरेखन परिवर्तन करना होता है तो वह न्यूनतम सिंचाई आवश्यकता के समय विकासकर्ता द्वारा न्यूनतम समय में अपने स्वयं के व्यय पर किया जायेगा ताकि कृषकों की फसलें नहर/हाईड्रम के समरेखन परिवर्तन के कारण क्षतिग्रस्त न हो। चयनित विकासकर्ता द्वारा परियोजना निर्माण से पूर्व इस सम्बन्ध में शपथ पत्र/उद्घोषणा सम्बन्धित विभाग एवं ऊर्जा विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

- x. **लोक निर्माण विभाग के विषय में व्यवस्था :-**
- लद्यु जल विद्युत परियोजना क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति इस शर्त के साथ वांछनीय नहीं होगी कि परियोजना क्षेत्र में आने वाले राज्यमार्गों एवं राष्ट्रीय राज्यमार्गों का सुचारू रूप से रख रखाव लद्युत जल विद्युत परियोजना के विकासकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। यदि किसी मार्ग का समरेखन परिवर्तित करना वांछनीय हो तो उस सड़क पर यातायात व्यवधान से पूर्व नये समरेखन पर मार्ग का निर्माण करना होगा जिसकी अनुमति लोक निर्माण विभाग से प्राप्त करनी होगी। चयनित विकासकर्ता द्वारा परियोजना निर्माण से पूर्व इस सम्बन्ध में शपथ पत्र/उदघोषणा सम्बन्धित विभाग एवं ऊर्जा विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
- xi. **मत्स्य विभाग के विषय में व्यवस्था :-**
- लद्यु जल विद्युत परियोजना के विकासकर्ता को मत्स्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछनीय नहीं होगा यदि लद्यु जल विद्युत परियोजना विकासकर्ता उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2013 के प्राविधानों का पालन करता है। चयनित विकासकर्ता द्वारा परियोजना निर्माण से पूर्व इस सम्बन्ध में शपथ पत्र/उदघोषणा सम्बन्धित विभाग एवं ऊर्जा विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
- xii. **पेयजल/जल संस्थान विभाग के विषय में व्यवस्था :-**
- पेयजल निगम/जल संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक न होगा यदि लद्यु जल विद्युत परियोजना क्रियान्वयन से कोई भी वर्तमान जलापूर्ति योजना प्रभावित न हो रही हो तथा लद्यु जल विद्युत परियोजना विकासकर्ता परियोजना के क्रियान्वयन के कारण प्रभावित किसी भी जलापूर्ति योजना को समुचित रख रखाव/समरेखन परिवर्तन अपने स्वयं के व्यय पर करेगा। चयनित विकासकर्ता द्वारा परियोजना निर्माण से पूर्व इस सम्बन्ध में शपथ पत्र/उदघोषणा सम्बन्धित विभाग एवं ऊर्जा विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
- xiii. **कैप्टिव विद्युत उत्पादकों के स्वीकृत विद्युत प्रभार में कमी :-**
- लद्यु जल विद्युत परियोजना से विद्युत क्रय करने से इच्छुक औद्योगिक उपभोक्ता को यूर्डआरसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप स्थायी आधार पर अनुबन्धित मांग के समरूप छूट अनुमन्य होगी।
- xiv. **ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न अनापत्तियां निर्गत कराने हेतु प्रदत्त सुविधा :-**
- विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु ऊर्जा विभाग/ऊर्जा विभाग द्वारा नामित संस्था को स्वीकृत/पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लागत का 0.1 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख लद्यु जल विद्युत परियोजना विकासकर्ता द्वारा देय होगा।

xv. कानून व्यवस्था :-

राज्य सरकार परियोजना क्षेत्र की परिसम्पत्तियों एवं परियोजना क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की रक्षा एवं सुरक्षा तथा परियोजना क्षेत्र में सामान्य नियम एवं कानून रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होगी।

10. विद्युत का विक्रय :-

इस नीति के अन्तर्गत आवंटित लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदने का प्रथम अधिकार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि�0 का होगा। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि�0 के द्वारा इस प्रकार विद्युत क्रय किये जाने की दशा में विद्युत मूल्य के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गारण्टी प्रदान की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा परियोजना से उत्पादित विद्युत को किसी भी उपभोक्ता अथवा इच्छुक वितरण लाईसेंसधारी अथवा किसी विद्युत विपणन कम्पनी अथवा नये औद्योगिक उपभोक्ता के कैप्टिव उपयोग हेतु विक्रय कर सकता है यदि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि�0 द्वारा विद्युत क्रय नहीं की जाती है।

10.1 विद्युत की व्हीलिंग :-

यूपीसीएल/पिटकुल के द्वारा उपभोक्ता को उत्पादित विद्युत का कैप्टिव उपयोग अथवा राज्य में या राज्य के बाहर तृतीय पक्ष को विक्रय करने हेतु अपने ग्रिड के माध्यम से पारेषण लाईन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए समस्त उपभोगताओं हेतु समान रूप से लागू व्हीलिंग दर की अग्रिम घोषणा की जायेगी।

11. लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु एकल खिडकी व्यवस्था :-

लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों के अनुमोदन/स्वीकृति शामिल आवश्यक होती है। राज्य सरकार एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत 90 दिवस के भीतर समयबद्ध रूप से वांछित स्वीकृतियां प्रदान करेगी। इस हेतु ऊर्जा विभाग/ऊर्जा विभाग द्वारा नामित संस्था नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा एवं विभिन्न विभागों से समन्वय करते हुए निर्धारित समय अवधि में स्वीकृतियां प्राप्त करेगा। विभिन्न आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्रदान किये जाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय सक्षम समिति का गठन किया जायेगा जिसका संघटक संलग्नक-ए में संलग्न है।

12. स्वच्छ विकास तंत्र के अन्तर्गत लाभ (सीडीएम) :-

इस नीतिके अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाएँ ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता तरीका नहीं हो सकता है तथापि इन परियोजनाओं के पर्यावरणीय अनुकूल होने को दृष्टिगत रखते हुए इनपरियोजनाओं हेतु राज्य सरकार क्लीन डेवलेपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा क्लीन डेवलेपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) के अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने हेतु यूजेवीएन लिंग एवं उरेडा को प्रदेश की नोडल एजेंसी घोषित किया है। समस्त परियोजना विकासकर्ता (निजी एवं सरकारी) सीडीएम के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने हेतु यूजेवीएन लिंग एवं उरेडा का सहयोग ले सकते हैं। स्वच्छ विकास तंत्र के अन्तर्गत प्राप्त लाभों को राज्य सरकार एवं विकासकर्ता के मध्य उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिनियमों के अनुसार बंटवारा किया जायेगा।

13. विविध :-

13.1 इस नीति के अन्तर्गत किसी भी विकासकर्ता को 3 से अधिक लघु जल विद्युत परियोजनाएँ (2 मेगावाट से ऊपर), वर्ष 2008 अथवा पूर्ववत निर्गत नीतियों के अन्तर्गत आवंटित परियोजनाओं को छोड़ते हुए, आवंटित नहीं की जायेंगी। जिन विकासकर्ताओं (व्यक्तिगत/संयुक्त उपक्रम/संघ) को इस लघु जल विद्युत नीति के अन्तर्गत 03 लघु जल विद्युत परियोजनाएँ आवंटित की जा चुकी हैं उन विकासकर्ताओं (व्यक्तिगत/संयुक्त उपक्रम/संघ) को नई परियोजनाएँ आवंटित नहीं की जायेंगी जिनमें पूर्ववर्ती विकासकर्ता (व्यक्तिगत/संयुक्त उपक्रम/संघ) सम्मिलित है। इस दशा में निविदादाता की निविदा प्रथमदृ टया निरस्त करते हुए खोली नहीं जायेगी।

13.2 राज्य की संस्थाओं को परियोजना आवंटन :-

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस नीति का पालन किये बिना राज्य स्वामित्व वाली किसी भी संस्था को परियोजना आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि कोई साध्य लघु जल विद्युत परियोजना उपरोक्तानुसार प्रस्तावित नीति के अनुसार दो बार में भी अनावंटित रह जाती है उस दशा में प्रदेश सरकार इस परियोजना को क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार की किसी भी संस्था को आवंटित कर सकती है।

13.3 पूर्ववर्ती नीतियों के अन्तर्गत आवंटित परियोजनाएँ :-

इस नीति के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से पूर्व आवंटित परियोजनाएँ उन्हीं नीतियों से अच्छादित रहेंगी जिसके अन्तर्गत वह परियोजनायें आवंटित की गई थी। पूर्ववर्ती नीतियों के अन्तर्गत आवंटित परियोजनायें इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोत्साहन हेतु पात्र न होंगी।

13.4 परियोजना की स्थापित क्षमता में परिवर्तन :-

13.4.1 आवंटित परियोजना के स्थापित क्षमता में वृद्धि :-

यदि चयनित विकासकर्ता के अनुसार उनको आवंटित परियोजना के स्थापित क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है, उस स्थिति में विकासकर्ता को परियोजना के क्षमता वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, परन्तु क्षमता वृद्धि के फलस्वरूप विकासकर्ता परियोजना के किसी भी प्रकार से समय विस्तार हेतु पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त विकासकर्ता द्वारा वृद्धि की गयी क्षमता पर अतिरिक्त अपफॉन्ट प्रीमियम जोकि विकासकर्ता द्वारा परियोजना आवंटन के समय दिया गया था, अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

13.4.2 परिकल्पित स्थापित क्षमता प्राप्त नहीं होने की स्थिति :-

यदि किसी लघु जल विद्युत परियोजना किसी हाइड्रोलोजी चक्र या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से स्थापित क्षमता के अनुरूप विद्युत उत्पादन नहीं कर पाती है उस दशा में चयनित विकासकर्ता को कियान्वयन अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते समय भुगतान किये गये अपफॉन्ट प्रीमियम का कोई भी भाग किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

13.5 आंवटन का स्थानांतरण :-

13.5.1 परिचालन से पूर्व :-

(अ) परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन तिथि से पूर्व मूल विकासकर्ता को आवंटित लघु जल विद्युत परियोजना के स्वामित्व का स्थानांतरण अन्य विकासकर्ता को दिये जाने हेतु केवल एक बार प्रकरण विशेष के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष समिति के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जायेगा। प्रदेश सरकार की विशेष समिति द्वारा परियोजना के स्वामित्व का स्थानांतरण की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन किया जा सकता है :-

- i. मूल विकासकर्ता द्वारा निर्माणाधीन परियोजना हस्तांतरण की सुविधा परियोजना अवधि में केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।
- ii. वित्तीय संस्था द्वारा इस तरह के हस्तांतरण की सहमति हो।
- iii. कैप्टिव विकासकर्ता श्रेणी की परियोजना की दशा में उत्तराखण्ड सरकार इस विषय में सन्तुष्ट हो कि नये विकासकर्ता द्वारा परियोजना से प्राप्त विद्युत उत्पादन उसके स्वयं के उपभोग में होगा।
- iv. नये विकासकर्ता की तकनीकि एवं वित्तीय क्षमतायें मूल विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल निविदा प्रपत्र के न्यूनतम पात्र मापदंडों के बराबर अथवा से अधिक हो।
- v. नये विकासकर्ता द्वारा ऊर्जा विभाग को परफोरमेंश बैंक गारण्टी प्रस्तुत की जायेगी।
- vi. प्रस्तावित नये विकासकर्ता उन सभी नियम एवं शर्तों को जो कि मूल विकासकर्ता द्वारा सहमत थी पर अपनी सहमति व्यक्त करता हो।
- vii. 05 मे0वा0 से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु, नये विकासकर्ता मूल विकासकर्ता द्वारा भुगतान की गयी अपफ्रन्ट धनराशि का 20 प्रतिशत तथा 02 मे0वा0 से 05 मे0वा0 क्षमता तक नये विकासकर्ता मूल विकासकर्ता द्वारा भुगतान की गयी अपफ्रन्ट धनराशि का 10 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क के रूप में उत्तराखण्ड सरकार को जमा करना होगा। यह स्थानांतरण शुल्क उन समस्त शुल्कों के अतिरिक्त होगा जो किसी भी अन्य संस्था को जमा किये जाने हों। उत्तराखण्ड सरकार को किसी भी समय न्यूनतम स्थानांतरण शुल्क को अधिसूचना के माध्यम से संशोधित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- viii. वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व परियोजना का स्थानांतरण एक बार किये जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। नये विकासकर्ता को परियोजना पुनः स्थानांतरण की अनुमति न होगी, इस स्थिति में यह परियोजना “जैसा है जहां है” के आधार पर प्रदेश सरकार में समाहित हो जायेगी तथा इस हेतु नये विकासकर्ता को किसी भी निर्माण कार्य अथवा ऊर्जा विभाग या अन्य किसी शासकीय विभाग को किये गये किसी भुगतान अथवा परफोरमेंश प्रतिभूति का कोई भी दावा मान्य न होगा। साथ ही विकासकर्ता द्वारा जमा की गई परफोरमेंश सिक्योरिटी राज्य हित में राज्यसाध कर ली जायेगी।

(ब) परियोजना के स्थानान्तरण के फलस्वरूप नये विकासकर्ता परियोजना के परियोजना के पूर्ण किये जाने हेतु किसी भी प्रकार से समय विस्तार हेतु पात्र नहीं होंगे।

14. कार्यान्वयन अनुसूची :-

- i. यदि विकासकर्ता बिना वैध कारणों के निर्धारित समय में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहता है तो परियोजना आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा विकासकर्ता द्वारा जमा किया गया प्रीमियम तथा परफॉरमेंस प्रतिभूति राज्यसात कर ली जायेगी।
- ii. यदि कोई विकासकर्ता परियोजना को अधूरा छोड़ देता है अथवा परित्याग कर देता है अथवा आवंटन की कतिपय शर्तों का उलंघन करता है उस दशा में सरकार द्वारा परियोजना का सब भारों से मुक्त दशा में स्वामित्व लेने का पूर्ण अधिकार होगा। विकासकर्ता द्वारा परियोजना पर लगाये गये कर्मचारियों को रखने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी।

15. परियोजना का निरीक्षण :-

i. निर्माण अवधि में :-

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक तकनीकी समिति जो प्रदेश सरकार/ऊर्जा विभाग द्वारा गठित की जायेगी के माध्यम से परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मासिक/तिमाही/छमाही अथवा आवश्कतानुसार निगरानी करने का पूर्ण अधिकार होगा। विकासकर्ता द्वारा तकनीकी समिति के निर्देशानुसार समस्त विवरण, अभिलेख आदि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विषय में उपलब्ध कराये जायेंगे।

ii. संचालन अवधि में :-

प्रदेश सरकार/ऊर्जा विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति विद्युत परियोजना का सुरक्षा एवं अन्य तकनीकी दृष्टिकोण से मानसून के पहले और बाद में निरीक्षण करेंगी। विकासकर्ता द्वारा इस निरीक्षण हेतु समस्त आवश्यक सहायता एवं सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार औद्योगिक निरीक्षक/इलेक्ट्रिकल निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण किया जायेगा इन निरीक्षणों की निरीक्षण रिपोर्ट वार्षिक आधार पर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

विकासकर्ता द्वारा परियोजना की स्थापित क्षमता, विद्युत उत्पादन, पी०एल०एफ०, डाउन टाइम आदि सभी रिकार्ड रखे जायेंगे तथा निरीक्षण ऑथोरिटी को निरीक्षण के समय उपलब्ध कराये जायेंगे।

16. विशेषाधिकार :—

उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग, बैंकिंग, वितरण, टैरिफ, बिक्री विनियामक आयोग के लिए नियामक ढांचा, और प्रवर्तन, अपराध और दंड एवं संकल्प और परियोजना के संचालन से संबंधित अन्य मुद्दों पर विवाद “विद्युत अधिनियम 2003” और उसके अनुवर्ती संशोधनों/Provision के तहत किए गए प्रावधानों द्वारा संचालित किया जाएगा। समय—समय पर इन विषयों के बारे में UERC द्वारा आदेश नियमों, निर्देशों विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए दिशा—निर्देश, सब पर बाध्यकारी होंगा।

17. रॉयल्टी एवं अन्य भुगतान :—

- i. राज्य सरकार द्वारा 2.00 मेंगावाट से ऊपर और 5.00 मेंगावाट तक की लघुजल विद्युत परियोजनाओं पर परियोजना अवधि में राज्य सरकार द्वारा कोई रॉयल्टी/ऊर्जा का भुगतान नहीं लिया जाएगा।
- ii. राज्य सरकार द्वारा 5.00 मेंगावाट से अधिक क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजनाओं के इस नीति के अन्तर्गत संचालन के प्रथम 15 वर्ष कोई राज्य सरकार द्वारा भी रॉयल्टी शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा संचालन के 16वें वर्ष से 15 प्रतिशत शुद्ध उत्पादित ऊर्जा के आधार पर रॉयल्टी वसूल की जाएगी।
- iii. इस नीति के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ता द्वारा परियोजना निर्माण अवधि में अनुमोदित परियोजना लागत का एक प्रतिशत धनराशि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) हेतु योगदान करना होगा।
- iv. इस नीति के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ता द्वारा परियोजना संचालन अवधि में शुद्ध विद्युत उत्पादन का एक प्रतिशत उत्पादन/धनराशि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) हेतु योगदान करना होगा।
- v. चयनित विकासकर्ता द्वारा 2 मेंवा० से 5 मेंवा० तक की लघु जल विद्युत परियोजना हेतु परियोजना अवधि में 3 प्रतिशत शुद्ध उत्पादित ऊर्जा अथवा उसके समकक्ष धनराशि स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं को भुगतान की जाएगी, जिसमें से 1 प्रतिशत शुद्ध उत्पादित ऊर्जा का भाग परियोजना प्रभावित ग्राम सभाओं को बराबर—बराबर अनुपात में, 1 प्रतिशत प्रभावित ब्लाक पंचायत को तथा 1 प्रतिशत प्रभावित जिला पंचायत को किया जाएगा।
- vi. 5 मेंवा० से अधिक की लघु जल विद्युत परियोजना के चयनित विकासकर्ता द्वारा परियोजना संचालन के प्रथम 15 वर्ष में, जिस अवधि में चयनित विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार को किसी भी रायल्टी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, 3 प्रतिशत शुद्ध उत्पादित ऊर्जा अथवा उसके समकक्ष धनराशि स्थानीय पंचायती

- राज संस्थाओं को भुगतान की जाएगी, जिसमें से 1 प्रतिशत शुद्ध उत्पादित ऊर्जा का भाग परियोजना प्रभावित ग्राम सभाओं को बराबर—बराबर अनुपात में, 1 प्रतिशत प्रभावित ब्लाक पंचायत को तथा 1 प्रतिशत प्रभावित जिला पंचायत को किया जाएगा।
- vii. ऊर्जा विभाग द्वारा लीज अवधि बढ़ाये जाने की दशा में रॉयल्टी शुल्क की उपरोक्त दरें 40 वर्ष (निर्माण अवधि के 5 साल और संचालन अवधि 35 वर्ष) की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी।

17.1 जल रॉयल्टी, शुल्क, टैक्सेस, विभिन्न उपकर तथा अन्य कर

- i. विकासकर्ता द्वारा समय—समय पर केन्द्र/प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये विभिन्न वैधानिक करों, शुल्कों, उपकरों तथा अन्य लेवीज का भुगतान सम्बन्धित प्रदेश एवं केन्द्र के विभिन्न विभागों तथा स्थानीय निकायों को करना होगा यदि विकासकर्ता को उपरोक्त करों, उपकरों तथा ड्यूटीज से छूट न प्रदान की गयी हों।
- ii. विकासकर्ता द्वारा प्रदेश सरकार को वन उत्पादों/नदी तल से प्राप्त सामग्री तथा अन्य निर्माण सामग्रियों पर प्रचलित दरों पर रॉयल्टी/एकाधिकार शुल्क का भुगतान करना होगा।
- iii. पर्यावरण सुरक्षा अथवा इस हेतु अन्य कोई कार्यवाही जिस हेतु शासकीय विभाग/स्थानीय निकायों की सक्षम समिति द्वारा सुझाये गये सुधारात्मक/क्षतिपूर्ति उपाय को विकासकर्ता द्वारा अपने व्यय पर संपादित करना होगा तथा इस व्यय को परियोजना व्यय में जोड़ दिया जायेगा।
- iv. उत्तराखण्ड सरकार कैप्टिव पॉवर को प्रोत्साहन देने तथा अतिरिक्त कैप्टिव पॉवर को राज्य में बेचने हेतु तथा औद्योगिक संरथानों पर अनावश्यक विद्युत उपकर का अनावश्यक भार बचाने हेतु कैप्टिव विकासकर्ताओं पर इस नीति के अन्तर्गत विद्युत विक्रय को विद्युत उपकर से मुक्त रखेगी।
- v. यह समझा जायेगा कि विकासकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व इन समस्त बिन्दुओं पर विचार कर लिया है।

18. ग्रिड अनुशासन :-

18.1 ग्रिड फेल होने पर कोई मुआवजा नहीं :-

विकासकर्ता/थर्ड पार्टी उपभोक्ता/कैप्टिव उपभोक्ता/लाइसेंसधारी (अधिकृत उपभोक्ता) को ग्रिड अनुशासन का पालन करना होगा और वह ग्रिड फेल होने, शट डाउन, बिजली की आपूर्ति में रुकावट होने आदि की स्थिति में किसी भी मुआवजे के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

18.2 उत्पादन प्रतिबन्ध :—

SLDC द्वारा यदि विद्युत प्रणाली की सीमाओं के कारण दिये गये निर्देशों के अनुसार विकासकर्ता को विद्युत का उत्पादन विनियमित/बंद करना होगा। SLDC द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार यदि उत्पादक कम्पनी के राजस्व में कमी होती है तो इस राजस्व की कमी हेतु कोई मुआवजा अनुमन्य नहीं होगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 11 के प्राविधानों के अनुसार आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न होने जिसमें प्रदेश की सुरक्षा को खतरा, लोक व्यवस्था या प्राकृतिक आपदा अथवा जनहित में उत्पन्न ऐसी परिस्थितियों के कारण प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा उत्पादक केन्द्र का संचालन एवं रखरखाव किया जायेगा। शट डाउन की स्थिति में उत्पादन के कारण होने वाले नुकसान हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

19. सांविधिक नियमों का अनुपालन :—

विकासकर्ता परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में भारत सरकार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/राज्य सरकार राज्य विद्युत नियामक आयोग के संवैधानिक नियमों का कठोरता से पालन करेगा। विकासकर्ता वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का कठोरता से पालन करेगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अन्तर्गत वन भूमि के वन भूमि से इतर उपयोग परिवर्तन हेतु वांछित प्रतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्ध मूल्य हेतु भुगतान करना होगा, यदि मा० ० उच्चतम न्यायलय द्वारा इस नियम में कोई छूट न प्रदान की गयी हो। विकासकर्ता द्वारा परियोजना के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव की समयावधि में उत्तराखण्ड में श्रम कानूनों एवं श्रम कल्याण से संबंधित अनुमन्य प्रावधानों का कड़ाई पालन करेगा। विद्युत अधिनियम 2003 एवं अनुवर्ती संशोधनों के प्रावधानों का परियोजना क्रियान्वयन अवधि में पालन किया जायेगा। विकासकर्ता पर्यावरण प्रभाव आंकलन 2006, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 का अनुपालन करेंगे।

20. पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन :—

विकासकर्ता द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन, यदि कोई हो, को प्रदेश सरकार की दिशानिर्देशों/संबंधित नियमों के अनुरूप अपने व्यय पर करेगा। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए विस्थापित लोगों के लिए चयनित विकासकर्ता “उत्तराखण्ड जल विद्युत परियोजनाओं हेतु पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति 2013” एवं अनुवर्ती संशोधनों के प्राविधानों का पालन करेगा।

21. प्राकृतिक आपदा के कारण परियोजनाका तकनीकी एवं आर्थिक अलाभकारी होना :—

यदि प्राकृतिक आपदाओं जैसेस्लोप का फेल होना, बादल फटना, भूकंप, नदी के किनारे का कटाव या अन्य प्राकृतिक कारणों से आदि के कारणनदी की की भौगोलिक स्थिति में गम्भीर परिवर्तन होने के कारण परियोजना तकनीकी एवं आर्थिक रूप से अलाभकारी हो जाती है और चयनित विकासकर्ता इस परियोजना को छोड़ना चाहता हो, ऐसी स्थिति में जल विद्युत परियोजना समर्पण करने के लिए अनुरोध परियोजना क्षेत्र के नदी स्थलाकृति में परिवर्तन के बारे में दस्तावेजों सबूतों के साथ सरकार को लिखित रूप में किया जाना होगा। राज्य सरकार द्वारा विकासकर्ता की प्रार्थना पत्र पर समुचित परीक्षण के बाद यह पाया जाता है कि परियोजना क्षेत्र में नदीं केस्थलाकृति परिवर्तन के कारण, परियोजना तकनीकी-आर्थिक रूप से अलाभकारी बन गयी है, तो राज्य सरकार विकासकर्ता द्वारा जमा किया गया अपफन्ट प्रीमियम तथा परफार्मेंस प्रतिभूति वापिस कर देगी, लेकिन अपफन्ट प्रीमियम पर कोई भी ब्याज विकासकर्ता को देय नहीं होगा।

22. जल विद्युत परियोजना हेतु निर्मित जलाशय पर अधिकार :—

लद्यु जल विद्युत परियोजना के कियान्वयन हेतु सृजित जलाशय को राज्य सरकार जल विद्युत परियोजना के लिए बनाये गये जलाशय को पर्यटन, मत्स्य आदि कार्यों अथवा जैसा प्रदेश सरकार चाहे, हेतु प्रयोग किये जाने हेतु, प्रदूषण, सुरक्षा और नियमों का पालन करते हुए प्रदेश सरकार पूर्णतः अधिकृत होगी। जलाशय के उपरोक्तानुसार प्रयोग किये जाने की दशा में चयनित विकासकर्ता का इस प्रयोग से उत्पन्न राजस्व पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा विकासकर्ता इस हेतु कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा।

23. रियायत अवधि पूरी होने पर परियोजना की राज्य सरकार को वापसी :—

बीओटी अवधि समाप्त होने के उपरान्त बिना किसी भार के समस्त परियोजना पारेषण लाईन सहित निशुल्क विकासकर्ता द्वारा प्रदेश सरकार को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। विकासकर्ता द्वारा सेवा नियोजित कार्मिकों के कोई भी दायित्व प्रदेश सरकार पर न होगा। यदि प्रदेश सरकार द्वारा रियायत अवधि नहीं बढ़ायी जाती है तथा विकासकर्ता उपरोक्तानुसार परियोजना हस्तान्तरित नहीं करता है, की दशा में प्रदेश सरकार यूजेवीएन लिमिटेड अथवा किसी अन्य संस्था को परियोजना के सभी घटकों एवं अन्य सम्पत्ति को अग्रिहित करने हेतु अधिकृत कर सकती है। इस दशा में यदि कोई दायित्व अवशेष होते हैं तो उसके लिए विकासकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

24. कठिनाईयों दूर करने की शक्तियाँ :-

ऊर्जा क्षेत्र के गतिशील आर्थिक परिवर्तनों को दृष्टि टगत रखते हुए नीति के प्राविधानों की नियमित अन्तराल पर समीक्षा की जायेगी। सामान्य परिस्थितियों में अगली समीक्षा तीन साल के बाद की जायेगी। भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की किसी व्यवस्था के अन्तर्गत परिचालन सुगम बनाये जाने या अप्रत्याशित प्रकरणों के कारण इस नीति के अन्तर्गत कुछ प्राविधान हटाने/संशोधित करने अथवा अतिरिक्त प्राविधिकानों को सम्मिलित करने का अधिकार उत्तराखण्ड सरकार के पास सुरक्षित है। उत्तराखण्ड सरकार समय—समय पर इस नीति और मामलों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आदेश और अभ्यास निर्देश जैसा कि वह उपयुक्त समझे निर्गत कर सकती है। हालांकि, इस तरह के संशोधन को केवल भवि यगामी होंगे।

25. बहुविकल्पी :-

प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड सरकार संबंधित विभागों से परामर्श कर इस नीति के अन्तर्गत किसी भी प्रावधानों को संशोधित करने/छूट प्रदान करने अथवा व्याख्या करने हेतु सक्षम होंगे।

26. अनुप्रयोज्यता :-

उपरोक्त नीति एवं इसके अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन इस नीति के उत्तराखण्ड के गजट अधिसूचना के दिनांक से प्रभावी मानी जाएगी तथा यह नीति नई नीति प्रख्यापित किये जाने अथवा पुर्नरीक्षित किये जाने तक अनुमन्य रहेगी। इस समयावधि में आवंटित सभी परियोजनायें इस नीति से नियंत्रित रहेगी।

इस नीति के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजनायें निर्माण, संचालन तथा हस्तांतरण (बी0ओ0टी0) के आधार पर आवंटित की जायेगी। बी0ओ0टी0 की अवधि 40 वर्ष होगी जिसमें 05 वर्ष निर्माणाधीन तथा 35 वर्ष की रियायत अवधि होगी। बी0ओ0टी0 अवधि क्रियान्वयन अनुबन्ध हस्ताक्षर किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होगा। बी0ओ0टी0 अवधि समाप्त होने के बाद जल विद्युत परियोजना का भूमि विद्युत गृह स्विचयार्ड, पारे आण प्रणाली एवं सम्बन्धित उपकरणों का पूर्ण स्वामित्व स्वयं प्रदेश सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत संस्था को निःशुल्क हस्तांतरित हो जायेगा। इस नीति को प्रभावी करने के लिये सम्बन्धित विभागों द्वारा शीघ्र ही विभिन्न अधिनियमों में आवश्यक संशोधन, जहां आवश्यक हों, किया जायेगा।

अनुलग्नक—‘ए’

सक्षम समिति (EMPOWERED COMMITTEE) का गठन
सक्षम समिति के घटक (Composition of Empowered Committee)

लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु एकल खिडकी व्यवस्थाएवंआवंटन प्रस्तावों पर स्वीकृति हेतु प्रशासनिक सचिवों की निम्नानुसार सक्षम समिति गठित की जाती है :—

<u>1.</u>	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	—	अध्यक्ष
<u>2.</u>	अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	—	उपाध्यक्ष
<u>3.</u>	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा उत्तराखण्ड शासन	—	सदस्य
<u>4.</u>	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	—	सदस्य
<u>5.</u>	प्रमुख सचिव/सचिव—सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन	—	सदस्य
<u>6.</u>	प्रधान सचिव/सचिव—वनउत्तराखण्ड शासन	—	सदस्य
<u>7.</u>	प्रमुख सचिव/सचिव—उद्योग, उत्तराखण्ड शासन	—	सदस्य
<u>8.</u>	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल	—	सदस्य
<u>9.</u>	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड	—	सदस्य
<u>10.</u>	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल	—	सदस्य
<u>11.</u>	प्रबंध निदेशक, यूआई०पी०सी०	—	सदस्य
<u>12.</u>	अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	—	सदस्य सचिव

सक्षम समिति अन्य प्रमुख सचिव/सचिव/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विद्याय विशेषज्ञों, जब एवं जितने आवश्यक हों, को समिति सम्मिलित कर सकती है (जैसे प्रमुख सचिव, स्थानीय निकायों, ग्रामीण विकास आदि)। सक्षम समिति विभिन्न विभागों/संस्थाओंद्वारा इस नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी।

डॉ० उमाकान्त पंवार
सचिव

संख्या— 53 /।।/2015-03/21/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (हाइडिल), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
4. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, ५वां तल, कोर-३, स्कोप कॉम्प्लेक्स, ७ इन्स्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना तथा संलग्न “सूक्ष्म एवं अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति, 2015” (हिन्दी एवं अंग्रेजी) आलेख्य को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-४ खण्ड-(ख) परिनियत आदेश के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं उक्त की 150 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिंग/उपायकालिंग/पिटकुल, देहरादून।
11. निदेशक, उरेडा, देहरादून।
12. प्रभारी, एनआईसी०, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से कि वे सम्बन्धित नीति को सरकारी वेबसाईट पर प्रख्यापित करने का कष्ट करें।
13. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

(डॉ० उमाकान्त पंवार)
सचिव